RNI No. - UPHIN/2023/85551

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

द न्यूज़ कॉर्नर

अक्टूबर 2026 • वर्ष : 04 अंक : 07 • मूल्य : 30/-



विपक्ष के चक्रव्यूह में

बुरे फंसे ज्ञानेश



स्वच्छता ही सेवा 2026

स्वच्छता में सहभाग
स्वच्छ भारत, विकसित भारत

(17 सितंबर-17 अक्टूबर, 2026)

बदल रहा परिवेश-स्वच्छ बन रहा प्रदेश

प्रमुख घटक

• स्वच्छता लक्षित इकाइयों (CTUS) एवं सार्वजनिक स्थलों का रूपांतरण • स्वच्छता से समृद्धि • सफाईमित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर • स्वच्छता के लिए जनभागीदारी • स्वच्छ पाठशाला- स्वच्छता के लिए युवा

'स्वच्छता ही सेवा 2026' के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां

17-09-2026	'स्वच्छता ही सेवा 2026' कार्यक्रम का शुभारंभ
17-09-2026 से 02-10-2026	स्वच्छता लक्षित इकाई के विलोपीकरण हेतु सफाई अभियान
17-09-2026 से 02-10-2026	सफाईमित्रों हेतु सुरक्षा शिविर
23-09-2026 से 26-09-2026	जनभागीदारी कार्यक्रम
25-09-2026 एवं 26-09-2026	पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता कार्यक्रम
27-09-2026 से 17-10-2026	प्लास्टिक उन्मूलन से संबंधित विशेष जागरूकता कार्यक्रम
01-10-2026	'एक दिन, एक घंटा, एक साथ स्वच्छता' के लिए विशेष श्रमदान अभियान
07-10-2026	विशेष स्वच्छता कार्यक्रम
11-10-2026 से 17-10-2026	'स्वच्छ पर्व-हरित पर्व' एवं पौधरोपण कार्यक्रम



विशेष श्रमदान अभियान

एक दिन, एक घंटा, एक साथ स्वच्छता

01 अक्टूबर, 2026

स्वच्छता के सबसे बड़े जन आंदोलन में भाग लेने के लिए QR कोड स्कैन करें या www.swachhatahiseva.gov.in पर जाकर पार्टनर साइनअप पर क्लिक करें एवं सफाई में भागीदार बनें

स्वच्छता में भागीदार बनें-नैतिक जिम्मेदारी पूरी करें

टोल फ्री
1533/1800 1800 101

विकास की गति अपार
डबल इंजन सरकार

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय
@sbm_up

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष : 04 ● अंक : 07

सम्पादक
सैय्यद आसिफ़ रज़ा जाफ़री
प्रबन्ध सम्पादक
दीपक कृपलानी
समाचार सम्पादक
शारिब जाफ़री
स्थानीय सम्पादक, उत्तराखण्ड
शबीह अहमद रिज़वी
विधि सलाहकार
सैय्यद आफ़ताब अहमद
धर्मेंद्र सिंह
पंजीकृत कार्यालय
7, लोकमान्य तिलक मार्ग, डालीबाग
कालोनी, हज़रतगंज, लखनऊ
कॉरपोरेट कार्यालय
303 गोल्डेन हैबिटेड अपार्टमेंट, मदन मोहन
मालवीय मार्ग, हज़रतगंज, लखनऊ-226001
ब्यूरो कार्यालय-नई दिल्ली
डी-864, एलजीएफ, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी
नई दिल्ली-110025
ब्यूरो कार्यालय-मुम्बई
पुष्पक को-ऑपरेटिव सोसाइटी, बी-10 बिल्डिंग
प्रथम तल, फ्लैट नं. 14 खीरानगर, सांताक्रूज वेस्ट
एसवी रोड, मुम्बई।
ब्यूरो कार्यालय-बेंगलुरु
हॉउस नं. 3/9 ग्राउंड फ्लोर, 3 क्रास समाना
गार्डन, पोस्ट-आडुगोडी, बेंगलुरु-560030
RNI No. - UPHIN/2023/85551

स्वामी, मुद्रक-प्रकाशक सैयद आसिफ़ रज़ा जाफ़री द्वारा नीलम प्रिन्टिंग प्रेस 41/381 नरही लखनऊ-226001 यूपी से मुद्रित कराकर 7, लोकमान्य तिलक मार्ग, डालीबाग कालोनी, हज़रतगंज, लखनऊ 226001 (उ.प्र.) से प्रकाशित।

E-mail :
editor@newscorner.co.in
Website :
www.newscorner.co.in
Ph. No : 0522-2235101, 9415233786

विशेष सूचना

पत्रिका से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों से संपादकीय परिवार की सहमति होना आवश्यक नहीं है। सभी, लेख, लेखक की भावना एवं विचारों की अभिव्यक्ति है, जिसके लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी होगें।

समस्त रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं यह पत्रिका/ लेखकों/ पाठकों/ पत्रकारों द्वारा भेजी गई अनिमंत्रित सामग्री को वापस लौटाने की गारंटी नहीं लेती है।

इस अंक में...



भाजपा के आठ और सपा के दो ...Pg16



रथ पर सवार होकर अपने ... P18



कैफे संचालक शिवा शर्मा ... Pg22



मुख्यमंत्री योगी ...Pg24



'मोना' प्रदेश अध्यक्ष ... Pg28



यूपी की सियासत में ... Pg34



ब्रिक्स सम्मेलन में दिखी ... Pg40

सम्पादकीय



सैय्यद आसिफ़ रज़ा जाफ़री

बहाने से सत्ता को चुनौती देता विपक्ष

केंद्र की मोदी सरकार को 2014 के बाद पहली बार विपक्ष की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पेपर लीक से शुरू हुआ आंदोलन धीरे-धीरे अन्य मुद्दों पर भी सड़कों पर दिख रहा है। जंतर-मंतर पर सीजेपी, कांग्रेस और छात्रों के विरोध प्रदर्शन से मिली कामयाबी और केन्द्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से विपक्ष उत्साहित है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इन आंदोलनों का केंद्र बनते दिख रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठी-चार्ज के बाद से राहुल गांधी लगातार सड़कों पर दिख रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठकर शुरू की थी।

देश की राजनीति में पिछले तीन महीनों के दौरान राहुल गांधी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीच टकराव कई मोर्चों पर दिखाई दिया है। कभी छात्रों के प्रदर्शन और परीक्षा संबंधी विवादों को लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्षी दलों के साथ धरना, कभी संसद में गृह मंत्री से जवाब मांगने की कोशिश, तो कभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर इंडिया गठबंधन का विरोध मार्च–राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ अपने राजनीतिक अभियान को सड़क और संसद, दोनों जगह बढ़त दी है।

इस दौरान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं के बीच भी विभिन्न मुद्दों पर सहयोग दिखाई दिया। हालांकि, सभी दल हर विरोध प्रदर्शन में समान रूप से शामिल नहीं रहे और गठबंधन के भीतर मुद्दों तथा रणनीतियों को लेकर अलग-अलग प्राथमिकताएं भी बनी रहीं।

सत्ता की असली ताकत केवल चुनाव जीतने, संसद में बहुमत हासिल करने और सरकार चलाने में नहीं होती, बल्कि जनता के विश्वास को बनाए रखने में भी होती है। इसी तरह विपक्ष की भूमिका केवल सरकार की आलोचना करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसकी नीतियों पर सवाल उठाना, जनसमस्याओं को आवाज देना और सत्ता को जवाबदेह बनाए रखना भी उसका संवैधानिक दायित्व है। जब सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक संघर्ष संसद से निकलकर सड़कों तक पहुंचने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनआक्रोश दिखाई देने लगे और विपक्षी दल किसी साझा राजनीतिक मंच की तलाश में एकजुट होने लगें, तो इसे महज राजनीतिक बयानबाजी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह देश की राजनीतिक दिशा, लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता की बदलती अपेक्षाओं को समझने का अवसर भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सामने आज विपक्ष की चुनौती केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है। विपक्षी दल कांग्रेस, सपा, ममता बनर्जी की टीएमसी, राजद, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना सहित इंडिया गठबंधन के तमाम दल सरकार की आर्थिक नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक सौहार्द, संघीय ढांचे, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों जैसे विषयों को लेकर एक जुट होकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। इन मुद्दों पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों ने राजनीतिक बहस को एक नया आयाम दिया है। दूसरी ओर, भाजपा और केंद्र सरकार इन आलोचनाओं का जवाब अपनी उपलब्धियों, विकास योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और मजबूत नेतृत्व के दावों के जरिए देती रही हैं। ऐसे में असली सवाल यह है कि क्या विपक्ष जनता के असंतोष को एक ठोस राजनीतिक विकल्प में बदल पाएगा या फिर उसका विरोध केवल कुछ दिनों की सुर्खियों तक सिमटकर रह जाएगा।

जिस तरह विपक्ष चुनाव आयोग के पक्ष-पात पूर्ण रवैये को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ा है। उससे भाजपा व मोदी सरकार असहज दिख रही है। प्रखर समाजवादी राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़के सूनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगी। शायद यही वजह है कि विपक्ष सत्ता के विरोध में सड़कों को गुलजार रखना चाहता है।

इस वक्त देश में महंगाई और बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष सरकार की दुखती रगों को दबा रहा है। आग में घी का काम एक अंग्रेजी दैनिक अखबार की चुनाव आयोग को लेकर आई तफ्तीशी रिपोर्ट ने किया। जिसमें आयोग द्वारा लिए गए कई फैसलों से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कटघरे में खड़े हो गए हैं। विपक्ष ज्ञानेश का इस्तीफा मांग रहा है।

हालांकि, प्रत्येक विरोध प्रदर्शन को पूरे देश की जनता के मत का प्रतिनिधि मान लेना भी उचित नहीं है। किसी आंदोलन की वास्तविक ताकत का आकलन उसके नारों, भीड़ या तस्वीरों से ही नहीं, बल्कि उसकी जनभागीदारी, व्यापक समर्थन, उठाए गए मुद्दों और सरकार पर पड़ने वाले नीतिगत प्रभाव से किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है कि विरोध तथ्यपरक, शांतिपूर्ण और जनहित पर केंद्रित रहे। विपक्ष के सामने चुनौती यही है कि वह जनता की रोजमर्रा की परेशानियों को राजनीतिक भाषणों से आगे ले जाकर ठोस कार्यक्रमों में बदले। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि सरकार विफल है. यह भी बताना होगा कि वैकल्पिक सरकार उन समस्याओं का समाधान कैसे करेगी।

देश की सबसे पुरानी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में शामिल कांग्रेस लंबे समय से अपनी राजनीतिक जमीन को राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2014 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के उभार और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने कांग्रेस के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कीं। लगातार चुनावी पराजयों, संगठनात्मक कमजोरियों, नेतृत्व को लेकर बहस और कई राज्यों में घटते जनाधार ने पार्टी को आत्ममंथन के लिए मजबूर किया। फिर भी कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठनात्मक ढांचा, उसका ऐतिहासिक आधार और विभिन्न राज्यों में उसका राजनीतिक प्रभाव उसे विपक्षी राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाए रखते हैं। विपक्षी दलों के कांग्रेस के साथ आने की संभावनाओं को इसी राजनीतिक संदर्भ में समझना चाहिए। भाजपा जैसी मजबूत चुनावी मशीनरी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी पार्टियों को यह महसूस होता रहा है कि अलग-अलग लड़ने की तुलना में साझा रणनीति अधिक प्रभावी हो सकती है। संसद में समन्वय, साझा मुद्दों पर विरोध, जनसभाओं और आंदोलनों में भागीदारी तथा चुनावों में सीटों के तालमेल जैसे कदम विपक्षी एकता को व्यावहारिक रूप दे सकते हैं। लेकिन विपक्ष की एकजुटता केवल मंच साझा करने या नेताओं की संयुक्त तस्वीरें खिंचवाने से स्थापित नहीं होती। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, परस्पर विश्वास और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन आवश्यक है। सत्ता को चुनौती देने के लिए एकजुट होना विपक्ष की शुरुआत है, लेकिन जनता का विश्वास जीतना उसकी असली परीक्षा है।



एसआईआर पर चुनाव आयुक्तों की असहमति के दावे से सियासी बवन्डर

देश के एक प्रतिष्ठित अंग्रेज़ी अख़बार ने चुनाव आयोग की पक्षपात पूर्ण कार्रवाई पर एक इनवेस्टिगेटिव रिपोर्ट के साथ करारा प्रहार किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद है। चुनाव आयुक्त सुखीर सिंह संधू और डा. विवेक जोशी ने चुनाव आयोग के कदमों को लेकर 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने आयोग और सरकार को निशाने पर ले लिया है। आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। चुनाव आयुक्तों ने खुद को अंधेरे में रखने से लेकर नए मतदाताओं को जोड़ने और नाम हटाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई और अनधिकृत, गैरकानूनी कदमों पर सवाल उठाए। भारत चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया, जून 2025 में बिहार में शुरू हुई थी लेकिन अब तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मसौदा मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए जा चुके हैं। हालांकि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उन्हें इसके खिलाफ़ अपील करके अपना जवाब देने का विकल्प दिया गया है। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है, कि इन मुद्दों पर तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के भीतर भी बार-बार सवाल उठाए गए थे और आपत्तियां दर्ज की गई थीं। इस रिपोर्ट के आने के बाद जिन प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, वहां के विपक्ष के नेता अपनी हार को लेकर एसआईआर में नामों के काटे जाने या जोड़े जाने को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।



कठघरे में निर्वाचन आयोग, एसआईआर को लेकर बड़ा विवाद

विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेने पर अड़ा

राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष सड़कों पर, सीजेपी भी मैदान में उतरी

सैय्यद आसिफ़ रज़ा जाफ़री

नई दिल्ली। भारत की निर्वाचन प्रक्रिया के शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। विपक्षी दलों, युवा संगठनों और सिविल सोसाइटी के देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, एसआईआर) में कथित अनियमितताओं, करोड़ों नामों के ड्राफ्ट सूचियों से हटाए जाने और निर्वाचन आयोग के अंदर दर्ज असहमतियों की खबर के बाद यह विवाद संसद से सड़क तक उबाल मार रहा है। कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के सांसद दिल्ली में लगातार मार्च और धरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) दिल्ली मुंबई समेत अन्य शहरों में युवा भीड़ जुटा रही है। दूसरी ओर 42 पूर्व न्यायाधीशों ने खुले पत्र में इन आरोपों को निहित स्वार्थों से प्रेरित सुनियोजित अभियान बताया है और संवैधानिक संस्था की गरिमा बचाने की अपील की है। विवाद सिर्फ एक अधिकारी के इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं है। बल्कि इस सवाल से जुड़ा है, कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाता सूची कैसे बनती है, कौन तय करता है कि किसका नाम रहेगा और किसका नहीं, और जब आयोग के तीन सदस्यों में से दो औपचारिक आपत्ति दर्ज कराएं तो उसका संस्थागत अर्थ क्या है।

विवाद की जड़ : एसआईआर और आंतरिक असहमति

विशेष गहन पुनरीक्षण बिहार में 2025 में शुरू हुआ और बाद में देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया गया। निर्वाचन आयोग का आधिकारिक रुख है, कि यह मृत मतदाताओं, डुप्लीकेट प्रविष्टियों और स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाने तथा नए पात्र नागरिकों को जोड़ने की नियमित प्रक्रिया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) आयोग को किसी भी समय सूची का पुनरीक्षण करने का अधिकार देती है। गहन पुनरीक्षण पहले भी होते रहे हैं, अंतिम बड़ा चक्र लगभग दो दशक पहले पूरा हुआ था। विपक्ष और कई नागरिक समूहों का दावा अलग है। उनके अनुसार ड्राफ्ट सूचियों से देश भर में 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए, जो कुल मतदाताओं का लगभग 13 प्रतिशत है। आरोप है कि हटाने की प्रक्रिया में दस्तावेजी सबूत, अपील का प्रभावी अवसर और स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता पर्याप्त नहीं रही। बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों में ऐसे मामले सामने आए जहां परिवार के

जीवित सदस्यों के नाम गायब बताए गए। सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों के बाद ही कुछ डेटा सार्वजनिक हुआ, ऐसा आरोप यूट्यूबर ध्रुव राठी समेत कई लोगों ने लगाया है। मामला और तीखा तब हुआ जब सितंबर 2026 के तीसरे सप्ताह में द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अन्य दो निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले दस महीनों में कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज की। ये आपत्तियां फॉर्म-6 (नए मतदाता पंजीकरण) में बदलाव, मतदाता डेटाबेस के केंद्रीकृत प्रबंधन, कुछ आदेशों के बिना उनकी जानकारी जारी होने और पश्चिम बंगाल में हटाए गए नामों की बहाली के खिलाफ आयोग की ओर से अपील दायर करने जैसे मुद्दों से जुड़ी बताई गईं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ निर्णय ऐसे थे जिनकी जानकारी बाकी आयुक्तों को बाद में मिली। निर्वाचन आयोग ने बाद में कहा कि सदस्यों के बीच मतभेद सामान्य हैं और सभी कार्रवाई कानून के दायरे में है। लेकिन विपक्ष ने इस रिपोर्ट को संस्थागत विभाजन का सबूत मान लिया। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने पहली बार पूरे आयोग पर नहीं, बल्कि मुख्य आयुक्त पर निशाना साधा। उनका तर्क था कि बहुमत या सर्वसम्मति के बजाय एक व्यक्ति के फैसले सूची को प्रभावित कर रहे हैं।

देश भर में जगह जगह सड़कों पर प्रदर्शन

चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों ने इण्डिया गटबंधन को नई संजीवनी देने का काम किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया। दिल्ली, पटना, लखनऊ, चंडीगढ़, गुवाहाटी, इम्फाल, हैदराबाद और अन्य शहरों में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कई जगहों पर पुलिस ने पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मणिपुर की राजधानी में कुछ आंसू गैस के गोले दागे गए। कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने इस्तीफे के साथ गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल के एसआईआर संबंधी फैसले रद्द होने चाहिए। कांग्रेस ने इसे वोट चोरी अभियान का हिस्सा बताया। 28 सितंबर को प्रदर्शन और तीखे हुए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ, रायबरेली, सहारनपुर और आगरा में विरोध जताया। आगरा के विजय नगर कॉलोनी में ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास के गेट पर कालिख पोती गई और दीवार पर ज्ञानेश कुमार गद्दार हैं÷ लिख दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने चुनाव आयोग कार्यालय की ओर मार्च निकाला, कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। कुछ ने ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहनकर जंजीरों में हाथ बांधे दिखाए।

2 अक्टूबर, गांधी जयंती पर जंतर-मंतर पर विरोध हुआ। पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी और धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाए थे। इसके बावजूद वामपंथी छात्र संगठन, कांग्रेस, आप और अन्य समूह बैरिकेड पार करने की कोशिश में जुटे। दिल्ली पुलिस के अनुसार दिन भर में करीब 1,100 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से कई को बाद में छोड़ दिया गया। नारे लगे. गली-गली में शोर है, मोदी-ज्ञानेश वोट चोर है और वोट चोर गद्दी छोड़।

6 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों का बड़ा मार्च था। इंडिया ब्लॉक के करीब 237 सांसदों ने चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत



कई नेताओं को बीच रास्ते में रोक लिया। बाद में आकाशवाणी भवन के पास धरना हुआ। दिल्ली पुलिस ने राहुल और प्रियंका समेत कुछ नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ कथित मारपीट और सरकारी काम में बाधा के आरोप हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वे चाहते हैं उन पर सौ एफआईआर दर्ज हों, लेकिन इस्तीफे की मांग नहीं रुकेंगी। 7 और 8 अक्टूबर को क्रम जारी रहा। 8 अक्टूबर को सांसद राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत और ज्ञानेश कुमार ने आपराधिक षड्यंत्र कर संविधान को नुकसान पहुंचाया और वोट चोरी की। उन्होंने कहा कि ये चारों इंसाफ के कटघरे में लाए जाएंगे। विपक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का समय भी मांगा है। पटना में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने शहीद स्मारक से मार्च निकाला। पुलिस बैरिकेड पर वे चढ़ते दिखे। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में सीजेपी का प्रदर्शन हुआ, जिसमें ध्रुव राठी और अभिनेता प्रकाश राज मंच पर नजर आए। राठी ने आरोप लगाया कि नाम हटाए गए लोगों की सूची और पते सार्वजनिक नहीं किए गए और पारदर्शिता शून्य है। भोपाल में कांग्रेस नेताओं जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में मार्च हुआ। पटवारी ने एक लाख कार्यकर्ताओं के दिल्ली कूच की बात कही। सीजेपी वही युवा आंदोलन है जिसने जुलाई 2026 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में भूमिका निभाई थी। उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि सीईसी का मुद्दा उनके लिए प्राथमिकता है। समूह 10 अक्टूबर को और प्रदर्शनों की बात कर रहा है।

42 पूर्व न्यायाधीशों का खुला पत्र

8 अक्टूबर को 42 पूर्व न्यायाधीशों सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और विभिन्न उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों व न्यायाधीशों ने खुला पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को कठपुतली चोर और समझौता किया हुआ कहना निहित राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित अभियान है। पत्र में लिखा गया कि आलोचना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन संस्थाओं की गरिमा गिराना नहीं। उन्होंने एसआईआर को कानूनी प्रक्रिया बताया और कहा कि मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित नाम हटाना हर वास्तविक मत की रक्षा करता है। दशकों के प्रवास और शहरीकरण के बाद सूची सुधार जरूरी था। उन्होंने वोट चोरी के आरोपों पर सबूत की मांग की और कहा कि याचिकाएं दाखिल करने वाले समूह अक्सर प्रमाण नहीं देते। पत्र में कांग्रेस की उस स्थिति पर भी सवाल उठाया गया कि जब उसी ईवीएम और प्रक्रिया से पार्टी जीतती है तो सवाल नहीं उठते। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, जिनकी पार्टी सत्ताधारी गठबंधन में है, ने भी आयोग की सफाई का समर्थन किया और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास कम करने की कोशिशों की आलोचना की।



क्या-क्या दावे किए गए

- इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है, कि चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के कई फ़ैसलों पर आपत्ति दर्ज की।
- रिपोर्ट के मुताबिक़, जुलाई में नए मतदाताओं के लिए फ़ॉर्म 6 में एसआईआर से जुड़ा एक सवाल जोड़ा गया। मई में दोनों आयुक्तों ने कहा था, कि क़ानून में बदलाव किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद बदलाव किया गया और संधू ने इसे अनधिकृत और ग़ैरक़ानूनी बताया।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और अपीलों से जुड़े मामलों में भी दोनों आयुक्तों ने सवाल उठाए।
- जुलाई के अंत में दिल्ली में आयोग के प्रशासनिक विभाग में काम के बंटवारे को लेकर भी दोनों आयुक्तों ने आपत्ति की। उन्होंने कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखकर इसे आयोग को नियंत्रित करने वाले क़ानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया। अगले दिन दोनों ने इस आदेश को रद्द कर दिया।
- रिपोर्ट के मुताबिक़, गोवा में 97 मतदाताओं को स्थानीय अधिकारियों ने योग्य पाया, लेकिन केंद्रीकृत सॉफ़्टवेयर में उनके नाम दर्ज नहीं हो सके। दोनों आयुक्तों ने मतदाता सूची तैयार करने में सॉफ़्टवेयर के केंद्रीकृत नियंत्रण को लेकर भी सवाल उठाए।

दोनों पक्षों के तर्क

विपक्ष का केंद्रीय तर्क तीन बातों पर टिका है। पहला, 13 करोड़ नामों का हटना इतनी बड़ी संख्या है कि उसे सामान्य सफाई नहीं कहा जा सकता। कई मामलों में जीवित और स्थानीय मतदाता प्रभावित हुए। दूसरा, दो आयुक्तों की बार-बार लिखित आपत्ति बताती है कि निर्णय सामूहिक नहीं थे। तीसरा, 2023 का नियुक्ति कानून और वर्तमान राजनीतिक माहौल आयोग की निष्पक्ष छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप और एसआईआर पर रोक की भी मांग की है। कुछ ने नए सिरे से चुनाव या कोर्ट-मॉनिटर्ड जांच की बात कही जा रही है. भाजपा इन आरोपों को खारिज कर रही हैं। भाजपा नेताओं का कहना है, कि सूची में नाम



जोड़ना-हटाना निरंतर प्रक्रिया है, अपील का अधिकार है और ड्राफ्ट सूची प्रकाशित करने का मकसद ही आपत्तियां आमंत्रित करना है। वे कहते हैं कि विपक्ष हार के बाद संस्थाओं पर हमला करता है और युवा आंदोलनों को राजनीतिक रंग दे रहा है। आगरा में पैतृक घर पर कालिख पोतने जैसी घटनाओं को वे व्यक्तिगत हमला और कानून-व्यवस्था का मुद्दा मानते हैं। कानूनी विशेषज्ञों का एक वर्ग कहता है कि आयोग बहु-सदस्यीय संस्था है और असहमति दर्ज होना पारदर्शिता का संकेत भी हो सकता है, बशर्ते अंतिम निर्णय कानून सम्मत हों। दूसरा वर्ग मानता है कि यदि महत्वपूर्ण आदेश बिना अन्य सदस्यों की जानकारी के जारी हुए तो यह प्रक्रियागत कमी है, जिसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर से जुड़े कुछ मामले पहले से लंबित या नए दायर बताए गए हैं।

संस्थागत और राजनीतिक निहितार्थ

आयोग पर विवाद ऐसे समय में हो रहा है, जब कई राज्यों में चुनाव नजदीक हैं या हाल में हुए हैं। मतदाता सूची पर भरोसा चुनाव परिणाम की स्वीकार्यता से जुड़ा है। यदि बड़ी संख्या में पात्र नागरिक सूची से बाहर रह जाते हैं तो लोकतांत्रिक भागीदारी घटती है। यदि अवैध या डुप्लीकेट नाम बने रहते हैं तो एक व्यक्ति-एक मत का सिद्धांत कमजोर होता है। दोनों खतरे वास्तविक हैं। प्रदर्शनों का तरीका भी बहस का विषय बना है। शांतिपूर्ण धरना और मार्च लोकतांत्रिक

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला विपक्षी दलों का डेलिगेशन

चुनाव आयोग को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति का धन्यवाद किया है। राहुल गांधी ने कहा, हमने राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया और कहा कि अमित शाह और ज्ञानेश कुमार ने देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने का षड्यंत्र रचा। मुझे लग रहा था कि राष्ट्रपति कहेंगी कि चुनाव चोरी नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति ने हमारी बातें सुनीं। उन्होंने हमारी बातों को नकारा नहीं। हम हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भारत में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने बैठक की और राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च किया।

विपक्षी दलों का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उनका कहना है कि स्पेशल इंटेसिव रिवीज़न (एसआईआर) के ज़रिए देश में मतदाताओं के अधिकार छीने जा रहे हैं और वोट चोरी की जा रही है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार और भाजपा के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। हालांकि, चुनाव आयोग विपक्षी दलों के इन आरोपों को लगातार ख़ारिज कर रहा है। आयोग का कहना है कि एसआईआर के ज़रिए मतदाता सूची में उन लोगों के रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं, जो अपना पता बदलकर दूसरी जगह चले गए हैं या जिनकी मौत हो चुकी है. वहीं भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल चुनाव आयोग को बदनाम करके देश के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं।

राहुल ने कहा- सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे

राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन से बाहर आकर कहा, हमें चुनाव चोरी के सबूत देने हैं। मैंने कहा कि पूरा देश जानता है कि चुनाव चोरी हो रही है। हमने राष्ट्रपति से कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी के आर्किटेक्ट हैं और अमित शाह और ज्ञानेश कुमार इसे अंजाम देने वाले हैं. राष्ट्रपति ने हमारी बातों को ध्यान से सुना। राहुल गांधी ने कहा, इससे पहले जब हम मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गए थे, तो हमें हिरासत में लिया गया और पीटा गया। अब हम राष्ट्रपति के पास गए हैं। सोमवार को हम यही मेमोरेंडम लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम सभी रास्ते अपनाएंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम राष्ट्रपति को वोट चोरी के बारे में बताने गए थे। ज्ञानेश कुमार की वजह से यह सब हो रहा है। हमने ईवीएम हटाने और बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। खड़गे ने कहा, उन्होंने वोट चोरी के सबूत मांगे हैं। हम वे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी और कहा कि संबंधित लोगों से बात करके फ़ैसला लेंगी। विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल थीं। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं जांच कराऊंगी। मुझे सबूत चाहिए। हमने और राहुल जी ने कहा कि हम सबूत सौंपेंगे। देश बहुत ज़्यादा चिंतित है और आप इसकी संरक्षक हैं। इस लिहाज़ से कृपया इस पर ध्यान दें, ताकि देश का लोकतंत्र बचा रहे।

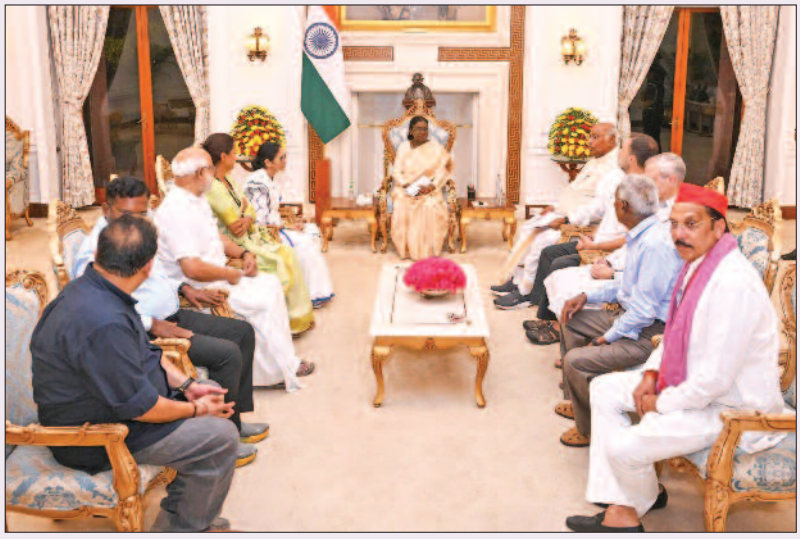

अधिकार हैं। पानी की बौछार, हिरासत और एफआईआर एक पक्ष को दमन लगते हैं। पुलिस इन्हें बिना अनुमति भीड़ और बैरिकेड तोड़ने का जवाब बताती है। पैतृक आवास पर अभद्र लेखन और पुतला दहन व्यक्तिगत लक्षित कार्रवाई की श्रेणी में आते हैं, जिनकी आलोचना संस्था-समर्थक पत्र में भी झलकती है। सीजेपी जैसे समूहों का उदय दिखाता है कि पारंपरिक विपक्ष के अलावा डिजिटल माध्यमों से संगठित युवा भी संवैधानिक पदों पर दबाव बना सकते हैं। जुलाई में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद उनकी विश्वसनीयता अपने समर्थकों में बढ़ी है। आलोचक कहते हैं कि ऐसे आंदोलन सबूत से ज्यादा नारे और वायरल वीडियो पर निर्भर करते हैं।

राष्ट्रपति से मुलाकात और संसद में नोटिस की कोशिशें चल रही हैं। निर्वाचन आयोग ने इस्तीफे की मांग पर औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से सीमित रखी है। 42 पूर्व न्यायाधीशों का पत्र संस्था के बचाव में एक संगठित आवाज है, लेकिन वह राजनीतिक गति को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। भारतीय लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग लंबे समय से अपेक्षाकृत विश्वसनीय संस्था रहा है। उसकी स्वायत्तता पर सवाल पहले भी उठे हैं, लेकिन इस बार आंतरिक असहमति की रिपोर्ट, बड़े पैमाने पर नाम हटाने और सड़कों पर निरंतर प्रदर्शन ने विवाद को नया आयाम दिया है। अंततः समाधान या तो संस्थागत पारदर्शिता बढ़ाने, हटाए गए नामों की विस्तृत, सत्यापन योग्य सूची, अपील प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट और आयुक्तों के बीच निर्णय लेने का स्पष्ट रिकॉर्ड में है, या राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के लंबे चक्र में। फिलहाल दोनों पक्ष अपने-अपने मैदान पर डटे हैं, और मतदाता देख रहा है कि उसकी सूची पर भरोसा किस आधार पर टिकता है।

विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी

इंडिया गठबंधन के सांसदों ने शुक्रवार शाम संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक की। बैठक के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च निकाला। इससे पहले 6 अक्तूबर को सांसदों ने सेव डेमोक्रेसी मार्च निकाला था। इसके बाद 7 अक्तूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए जाते समय उन्हें रास्ते में रोक दिया गया था। वहीं, 8 अक्तूबर को विपक्षी सांसदों ने कनॉट प्लेस से राजघाट तक मार्च निकाला था।

राहुल गांधी लंबे समय से चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा सियासी तौर पर और गरमा गया। विपक्षी दलों के अलावा कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े और एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह ख़त्म करने की मांग की है। सीजेपी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाली है. हालांकि, पुलिस ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी।



“पांच महीने पहले राज्यसभा के 60 से ज्यादा सांसदों ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, जबकि इसके लिए 50 सांसदों की जरूरत थी। आज दो चुनाव आयुक्तों के मुख्य चुनाव आयुक्त के कई फैसलों पर आपत्ति जताने की बड़ी खबर सामने आने के बाद अब समय है कि राज्यसभा में लाए गए उस प्रस्ताव को आज सामने लाया जाए. लोकतंत्र को बचाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग चलाया जाए।

- **डेरेक ओ ब्रायन,** राज्यसभा सांसद टीएमसी

“वोट चोरी को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईसी के संवैधानिक संस्था का मुखिया होने के नाते हर बार तमाम संवैधानिक परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को तार-तार कर सबको गुमराह किया।

- **तेजस्वी यादव,** नेता आरजेडी

“चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के अधीन आता है. अगर प्रधानमंत्री देश को बचाना चाहते हैं तो उन्हें अमित शाह को उनके पद से हटाना चाहिए।

- **संजय राउत,** प्रवक्ता शिव सेना यूबीटी

“तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने एसआईआर से जुड़े ईसीआई के विभिन्न निर्देशों पर ज्ञानेश कुमार के कदमों पर आपत्ति जताई, लेकिन सरकार के लिए काम करने वाले ज्ञानेश कुमार गैरकानूनी तरीके से निर्देश जारी करते रहे, जिसके परिणामस्वरूप अब तक 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया है! सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए।

- **प्रशान्त भूषण,** वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट

सीजेपी का प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने दावा किया है कि देशभर में उसके 10 हज़ार समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि हिरासत में लिए गए लोगों में पार्टी के

समर्थकों के अलावा अलग-अलग छात्र, किसान और दलित संगठनों के सदस्य और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी शामिल हैं. उन्होंने लिखा, यह इमरजेंसी है।

आशुतोष रांका की पोस्ट साझा करते हुए सीजेपी के सह-संस्थापक सौरव दास ने भी एक्स पर लिखा, भारत में इमरजेंसी लगा दी गई है।

दरअसल, सीजेपी ने 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था. प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने 57 स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है. वहीं, रेलवे ने भी दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया है।

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर कब कब उठे गंभीर सवाल

देश में जब भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और उसकी स्वतंत्रता की बात की जाती है तो पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को याद किया जाता है। टीएन शेषन दिसंबर 1990 से दिसंबर 1996 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे. टीएन शेषन ने कहा था, कि चुनाव आयोग भारत का होता है, न कि भारत सरकार का। भारत में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जब भी सवाल उठता है तो शेषन की यह टिप्पणी चर्चा में आ जाती है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से चुनाव आयोग विवादों के घेरे में है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न की शुरुआत की थी। चुनाव आयोग ने इसे रूटीन प्रक्रिया बताया था, लेकिन बिहार से शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत अब तक वोटर लिस्ट से 13 करोड़ से ज़्यादा नाम हटाए जा चुके हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका पर तीखी बहस हो रही है कि वह भारतीयों की नागरिकता तय कर रहा है।

एसआईआर को लेकर भारत की विपक्षी पार्टियों का भी आरोप है कि नरेन्द्र मोदी सरकार चुनाव आयोग के ज़रिए अपने मन मुताबिक़ वोटर लिस्ट तैयार करवा रही है। केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार इन आरोपों को ख़ारिज करती रही है लेकिन अब इस मामले में चुनाव आयोग के भीतर के कथित मतभेद की रिपोर्ट सामने आई है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है, कि देशभर में एसआईआर की प्रक्रिया तीनों चुनाव आयुक्तों की निगरानी में चल रही है, लेकिन संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर औपचारिक आपत्ति दर्ज की है। उनका कहना है कि कई फ़ैसले और आदेश उनकी जानकारी के बिना लिए और जारी किए गए। इनमें से एक दिन तो चार बार ऐसी आपत्तियां दर्ज की गईं।

चुनाव आयोग ने इस रिपोर्ट के बाद आठ बिंदुओं का एक बयान शेयर किया है। इसके पांचवें पॉइंट में चुनाव आयोग ने कहा है, 10 महीनों के दौरान लिए गए कई मंजूरी, फ़ैसले, निर्देश और पहल को नज़रअंदाज़ करके, सिर्फ़ कुछ ख़ास अंदरूनी नोट या बातों पर ज़ोर देने से पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। हाल के महीनों में, कमीशन ने कई फ़ैसले लिए हैं, निर्देश जारी किए हैं, लगभग 40 नई पहल शुरू की हैं और कई चुनावी सुधार किए हैं, जिनमें पूरे देश में वोटर लिस्ट में सुधार (एसआईआर सहित) शामिल है। ये सभी फ़ैसले पिछले एक साल में पूरे कमीशन की आम सहमति से लिए गए हैं।

दो चुनाव आयुक्तों की असहमति

रिपोर्ट के मुताबिक़ तीन चुनाव आयुक्तों में से दो ने शिकायत की कि उन्हें फ़ैसलों से अंधेरे में रखा जा रहा था। इनमें नए मतदाताओं को जोड़ने और मतदाता सूचियों से नाम हटाने से जुड़े फ़ैसले भी शामिल थे। उन्होंने नए मतदाताओं को जोड़ने से जुड़े कुछ क़दमों को अनधिकृत और अवैध बताया और चेतावनी दी कि मतदाता डेटाबेस तक पहुँच को दिल्ली में केंद्रीकृत करके राज्य के अधिकारियों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए।

सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता को लेकर उठी चिंताओं के मामले में असहमति जताने वाले चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव से भी शिकायत की। यह चुनाव आयोग के भीतर एक अभूतपूर्व दरार को दर्शाता है और उसके कामकाज को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। रिपोर्ट के मुताबिक़, इन सभी मुद्दों से जुड़ी आपत्तियों की प्रतियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गई थीं। कुछ आपत्तियां उन उप चुनाव आयुक्तों को भी भेजी गई, जो संबंधित काम की निगरानी कर रहे थे।



रिपोर्ट के मुताबिक, एक लिखित आपत्ति में संधू ने शिकायत की कि चुनाव आयोग ने दो चुनाव आयुक्तों की लिखित सलाह के खिलाफ़ जाकर कार्रवाई की और आरोप लगाया कि आयोग का यह क़दम अनधिकृत और अवैध था। तीनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में 2023 के क़ानून के तहत हुई थी। नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल थे।

मार्च 2024 में जब सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था, तब समिति में विपक्ष के सदस्य कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने नियुक्ति प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज की थी। फ़रवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने और विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने के समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी असहमति दर्ज कराई थी।

अशोक लवासा की मुख्य चुनाव आयुक्त से असहमति

यह पहली बार नहीं है, जब नरेन्द्र मोदी सरकार में चुनाव आयोग के भीतर असहमति सार्वजनिक हुई हो. इससे पहले मई 2019 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से असहमति जताई थी।

मई 2019 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मांग की थी कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े चुनाव आयोग के आदेशों में असहमति या अल्पमत की राय भी दर्ज की जाए, लेकिन तब के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने उनकी मांग नहीं मानी थी।

ऐसे में 16 मई 2019 को लवासा ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी सभी बैठकों से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आदर्श आचार संहिता की शिकायतों का जल्दी निपटारा करने के उनके सुझाव पर कार्रवाई नहीं हुई थी और आयोग के अंतिम आदेशों में उनकी अल्पमत राय दर्ज नहीं की जा रही थी।

लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों में उन्हें दी गई क्लीन चिट पर लवासा ने पाँच मौक़ों पर असहमति जताई थी। अशोक लवासा की असहमति पर तब के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों के बीच किसी भी तरह की असहमति मुख्य रूप से चुनाव आयोग की चारदीवारी के भीतर ही रही है और तीनों सदस्यों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे एक-दूसरे से हूबहू सहमत हों। अरोड़ा ने कहा था, चुप्पी की खूबसूरती को निभाना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन यह कहीं अधिक वांछनीय है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना



ज़रूरी है, न कि ग़लत समय पर विवाद खड़े करना।

उस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि भाजपा की सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़त्म कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि अरोड़ा को लवासा की चिट्ठी इलेक्शन कमिशन पर मोदी सरकार की ओर से डाले जा रहे राजनीतिक दबाव को लेकर बहुत कुछ कहती है। उन्होंने कहा था, सिर्फ़ इसलिए चुनाव आयुक्त की असहमति को दर्ज नहीं करना कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी करने की मांग की थी, चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को गंभीर रूप से नुक़सान पहुँचाता है।

2024 के आम चुनावों से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफ़ा दे दिया था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफ़ा नौ मार्च से प्रभावी रूप से स्वीकार कर लिया था। गोयल का कार्यकाल 2027 तक था। उनका इस्तीफा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया, जब लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कुछ ही दिनों में होने की उम्मीद थी। गोयल के इस्तीफे पर कांग्रेस ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लेकर गहरी चिंता जताई थी।

कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, इस बात को लेकर बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है कि चुनाव जैसी संवैधानिक संस्था किस तरह काम कर रही है और सरकार किस तरह उस पर दबाव डालती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त गोपालस्वामी बनाम चुनाव आयुक्त नवीन चावला

जनवरी 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने राष्ट्रपति को चुनाव आयुक्त नवीन चावला को पद से हटाने की सिफ़ारिश भेजी थी। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी के इस क़दम से स्वाभाविक रूप से बड़ा विवाद खड़ा हुआ और इसकी वैधता, समय और औचित्य को लेकर सवाल उठे। उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गोपालस्वामी की सिफ़ारिश की उसके पास 93 पन्नों वाली कॉपी थी और उन्होंने चावला पर कांग्रेस के पक्ष में झुकाव रखने का आरोप लगाया था।

इस पूरे मामले की शुरुआत 2006 में हुई एक याचिका से हुई थी। विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी और 200 से अधिक सांसदों ने राष्ट्रपति को चावला को चुनाव आयुक्त के पद से हटाने की मांग करते हुए याचिका दी थी. इसकी एक प्रति तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त को भी भेजी गई थी।

सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी के जसवंत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था। अदालत में गोपालस्वामी ने कहा कि था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उन्हें अपने स्तर पर किसी चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफ़ारिश करने का अधिकार है। मनमोहन सिंह की



अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने गोपालस्वामी के इस दावे का विरोध किया था। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट से अपना मामला वापस लेने और अपनी याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष पेश करने की अनुमति मांगी। अदालत ने अगस्त 2007 में इसकी अनुमति दे दी।

इसके कई महीने बाद, 30 जनवरी 2008 को यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के आदेश से क़रीब एक साल पहले भाजपा ने नवीन चावला को हटाने की मांग करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष याचिका दायर की। जैसा कि उम्मीद थी और सरकार की सलाह के मुताबिक़ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने एन. गोपालस्वामी की चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफ़ारिश ख़ारिज कर दी थी।

राष्ट्रपति के इस फ़ैसले से चावला के लिए गोपालस्वामी के पद छोड़ने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का रास्ता साफ़ हो गया था। जनवरी में जब यह विवाद पहली बार सामने आया था, तब भी क़ानून मंत्री ने गोपालस्वामी की आलोचना करते हुए साफ़ कर दिया था कि चावला को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। गोपालस्वामी की सिफ़ारिश से यह विवाद 2009 के आम चुनावों से ठीक पहले पैदा हुआ था। गोपालस्वामी 2009 में 20 अप्रैल को पद छोड़ने वाले थे और उनकी जगह नवीन चावला पद संभालने वाले थे।

टीएन शेषन का मामला

भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने 1993 के एक राष्ट्रपति अध्यादेश को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था और इसे असंवैधानिक बताया था. इस अध्यादेश के ज़रिए टीएन शेषन के अलावा दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करके चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया था। टीएन शेषन ने इस अध्यादेश को चुनौती देते हुए कहा था कि यह पहले से स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ़ है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप था। अदालत ने कहा था, चुनाव आयोग एक सदस्यीय संस्था भी हो सकता है और बहुसदस्यीय भी। अदालत ने आगे कहा, अनुच्छेद 324 की व्यवस्था यह है कि एक स्थायी संस्था होगी, जिसे चुनाव आयोग कहा जाएगा और उसका एक स्थायी पदाधिकारी होगा, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाएगा। अदालत ने कहा था, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को इस अर्थ में सर्वोच्च माना जाए कि उसका फ़ैसला अंतिम होगा, तो चुनाव आयुक्त निष्क्रिय या महज़ सजावटी पद बन जाएंगे। अनुच्छेद 324 से ऐसी मंशा निकालना मुश्किल है और न ही हम इसे संविधान निर्माताओं की मंशा मान सकते हैं।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि पदाधिकारियों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बीच अहम का टकराव न हो। अदालत ने कहा था, हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि जब संविधान निर्माताओं ने बहुसदस्यीय चुनाव आयोग का प्रावधान किया, तो वे इस संभावना से अनजान नहीं थे कि हर मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकती, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से ऐसे उच्च पदस्थ अधिकारियों से अपेक्षा की होगी कि वे अपने मतभेदों



को गरिमापूर्ण तरीक़े से सुलझाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाने और फ़ैसले बहुमत से लेने की व्यवस्था को बरकरार रखा था। तब टीएन शेषन इससे सहमत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पर भारत के जाने-माने क़ानूनविद् एफ एस नरीमन ने कहा था कि अदालत बहुसदस्यीय चुनाव आयोग की व्यवस्था को व्यावहारिक रूप से रद्द नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसी संस्था को सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर ही काम करना होता है, लेकिन उनके अनुसार, फ़ैसले ने चुनाव आयोग को पहले की तुलना में संस्थागत रूप से कम स्वतंत्र छोड़ दिया था।

1950 के बाद क़रीब 30 वर्षों तक चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होता था और उसे व्यापक रूप से स्वतंत्र माना जाता था। अक्टूबर 1989 में पहली बार दो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए, लेकिन तीन महीने के भीतर ही यह व्यवस्था वापस ले ली गई

1991 के कानून ने मुख्य चुनाव आयुक्त के वेतन और पेंशन को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर किया और चुनाव आयुक्तों को हाई कोर्ट के जजों के बराबर रखा, लेकिन चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के समान कार्यकाल की सुरक्षा नहीं दी

नरीमन का मानना था कि अदालत को 1993 के बदलावों को बरकरार रखते हुए भी क़ानून के ज़रिए स्थायी तीन सदस्यीय चुनाव आयोग अनिवार्य करना चाहिए था। चुनाव आयुक्तों को निश्चित और सुरक्षित कार्यकाल देना चाहिए था ताकि उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान आसानी से हटाया न जा सके। चुनाव आयुक्तों की संख्या और उनकी नियुक्ति के समय को लेकर सरकार के बिना किसी स्पष्ट दिशा-निर्देश वाले विवेकाधिकार को ख़त्म करना चाहिए था. तभी चुनाव आयुक्त निर्णय लेने में समान भागीदारी का दावा कर सकते थे और जनता को यह भरोसा दिलाया जा सकता था कि चुनाव आयोग सरकारी दबाव से मुक्त है।

ज्ञानेश कुमार कौन हैं

ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 31 जनवरी, 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कोऑपरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय में वह मई 2022 से सेक्रेटरी थे। इसके दो महीने बाद 14 मार्च, 2024 को इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया था। 15 मार्च को उन्होंने कार्यभार संभाला और उसके अगले दिन ही चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। चुनाव आयुक्त का पद संभालने के लगभग एक साल बाद ही उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। उन्होंने इससे पहले पांच साल गृह मंत्रालय में काम किया था, जहां वह मई 2016 से लेकर सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव और उसके बाद सितंबर 2018 से लेकर अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के पद पर थे।

ज्ञानेश कुमार का कश्मीर से लेकर राम मंदिर कनेक्शन

गृह विभाग अतिरिक्त सचिव के पद पर रहते समय ज्ञानेश कुमार जम्मू-कश्मीर के मामलों को देख रहे थे और अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करने की घोषणा की गई थी। उस समय वह गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार संसद में आते थे। नरेंद्र मोदी सरकार का ज्ञानेश कुमार में एक नौकरशाह के तौर पर भरोसा इस तथ्य से ही पता चलता है, कि न केवल उन्हें गोपनीय विधेयकों में से एक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी बल्कि वह राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन में भी शामिल थे। कोऑपरेशन सेक्रेटरी के उनके कार्यकाल के दौरान मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (एमएससीएस) (संशोधन) विधेयक, 2023 पास किया गया था, जिसका लक्ष्य कोऑपरेटिव सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना था।

ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त रहते हुए लोकसभा चुनाव 2024 हुए और साथ ही अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए. मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक होगा। उनके कार्यकाल में 20 विधानसभा चुनाव होंगे। साथ ही 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए

चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी उन्हीं के कार्यकाल में होगी।

ज्ञानेश कुमार ने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उन्होंने इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड फ़ाइनैंशियल एनालिस्ट्स ऑफ़ इंडिया से बिज़नेस फ़ाइनैंस में पढ़ाई भी की है।

विपक्ष का विरोध

ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने विरोध किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर कहा था, मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 2023 में जो नया क़ानून द चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट लेकर आई है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर तीन ऑर्डर पास किए हैं और अगली सुनवाई 19 फ़रवरी को होनी है। सिंघवी ने कहा था, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर कांग्रेस का रुख़ बड़ा स्पष्ट है। मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव से जुड़ी जो बैठक हुई है, उसे स्थगित किया जाए। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहे इसकी सुनवाई जल्दी पूरी करे। इसमें कांग्रेस पूरा समर्थन देगी। मोदी सरकार को अपना अहंकार छोड़कर ये मांग माननी चाहिए।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चयन करने वाले पैनल में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं जबकि इसके एक सदस्य गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे सदस्य नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, हालांकि सरकार ने कांग्रेस की आपत्ति को नज़रअंदाज़ करते हुए बैठक की और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फ़ैसला कर लिया था।

पहली बार नए क़ानून से चयन

जब मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के तहत हुआ। साल 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नए क़ानून के तहत चुनाव आयुक्त चुना गया था। इस नए क़ानून से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति करते थे। ये नया क़ानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के उस फ़ैसले के बाद आया है, जिसमें ये अनिवार्य किया गया था कि चयन पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कोर्ट ने कहा था कि ये आदेश तब तक रहेगा जब तक कि संसद इस पर क़ानून न बना दे। केंद्र सरकार ने क़ानून लाकर इस पैनल में मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय मंत्री को जगह दे दी।

विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर क्या थी कांग्रेस की आपत्ति

कांग्रेस का विरोध मुख्य रूप से नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर था, न कि इस आरोप को लेकर कि डॉ. सुखबीर सिंह संधू या डॉ. विवेक जोशी व्यक्तिगत रूप से इस पद के लिए अयोग्य थे. कांग्रेस का तर्क था कि चयन की व्यवस्था केंद्र सरकार को समिति में प्रभावी बहुमत देती है और नियुक्ति समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है।

सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति

जब मार्च 2024 में सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था, तब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी तीन सदस्यीय चयन समिति में विपक्ष के प्रतिनिधि थे। उन्होंने एक असहमति नोट दिया था।

उनकी प्रमुख आपत्तियां थीं

उन्होंने कहा था कि 212 नामों की सूची बैठक से सिर्फ़ एक दिन पहले दी गई, जबकि अंतिम छह नामों की शॉर्टलिस्ट चयन के फ़ैसले से महज 10 मिनट पहले साझा की गई। उनका कहना था कि इससे शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सार्थक जांच-पड़ताल का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। उन्होंने 2023 के उस नियुक्ति क़ानून पर आपत्ति जताई, जिसमें चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री की ओर से नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। चौधरी का तर्क था, कि प्रधानमंत्री और उनकी ओर से नामित कैबिनेट मंत्री के समिति में होने से सरकार को 2-1 का बहुमत मिल जाता है और वह अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन कर सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि वह संधू की नियुक्ति को मनमाना नहीं बता रहे है, उनकी आपत्ति प्रक्रियागत कमियों और चयन व्यवस्था की संरचना को लेकर थी।

विवेक जोशी की नियुक्ति

फ़रवरी 2025 में जब विवेक जोशी को निर्वाचन



आयुक्त नियुक्त किया गया, उसी दिन ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। उस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक असहमति नोट दिया था। राहुल गांधी ने अपने नोट में लिखा था, समिति ने नियुक्तियों की प्रक्रिया उस समय आगे बढ़ाई, जब 2023 के नियुक्ति क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 19 फ़रवरी 2025 को निर्धारित थी।

राहुल गांधी का तर्क था, कि अदालत की ओर से क़ानून की वैधता और चयन समिति की संरचना पर विचार किए जाने तक सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया टाल देनी चाहिए थी। उन्होंने इस फ़ैसले को जल्दबाजी भरा, अनादरपूर्ण और अदालत के साथ संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अशिष्ट बताया था।

कांग्रेस का कहना था कि चयन समिति से चीफ़ जस्टिस को हटाने से कार्यपालिका के प्रभाव से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने वाला सुरक्षा उपाय कमज़ोर हुआ। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के अनूप बरनवाल फ़ैसले का हवाला दिया। उस फ़ैसले में संसद की ओर से क़ानून बनाए जाने तक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई वाली चयन समिति का प्रावधान किया गया था।

'टाइम आएगा, हम आपको पकड़ेंगे'

'ज्ञानेश कुमार को सरकारी गवाह बन जाना चाहिए'

अंग्रेज़ी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक इनवेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बाद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ख़ास प्रेस कांफ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा वो लगातार तीन वर्षों से सुबूत के साथ वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहे हैं और अब दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया है।

राहुल गांधी ने इस दौरान फ़रवरी 2025 से लेकर अब तक उन प्रेस कांफ्रेंस और कार्यक्रमों का जिक्र किया जब-जब उन्होंने कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर भी चुनाव हारीं, लेकिन बीते कई चुनावों के बाद एंटी-इनकंबेंसी जैसे ख़त्म सी हो गई है।

उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा मांगते हुए कहा कि लोकतंत्र को बर्बाद नहीं होने देना है. साथ ही राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार से मांग करते हुए कहा कि वो सरकारी गवाह बन जाएं।

राहुल ने क्या-क्या सवाल खड़े किए

लोक सभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, यूपी, जैसे राज्यों में हमेशा चुनावों के बाद सरकारें बदलती थीं लेकिन अचानक चुनावों में एंटी-इनकंबेंसी ही ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूं और मैंने 50 से ज़्यादा साल एक राजनीतिक परिवार में बिताए हैं। लोकतांत्रिक माहौल में काम करने वाला कोई भी राजनीतिक नेता ऐसा बयान नहीं दे सकता. क्योंकि भारत में एंटी-इनकंबेंसी (मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ नाराज़गी) नाम की एक बुनियादी ताक़त होती है, जो बहुत तेज़ी से किसी भी सरकार का विरोध करने लगती है और यह किसी को नहीं बख़्शती।

इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश युद्ध जीतती हैं, अपनी लोकप्रियता के शिखर पर होती हैं, और फिर अचानक, एक-दो साल के भीतर ही ज़बरदस्त एंटी-इनकंबेंसी और भारी दबाव का सामना करना पड़ता है।

एक के बाद एक, कई नेताओं के साथ ठीक यही होता है। ऐसा कांग्रेस नेताओं के साथ होता है, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ होता है, लेकिन किसी वजह से, नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा कभी नहीं होता। अमित शाह के साथ ऐसा नहीं होता, भाजपा के साथ ऐसा नहीं होता।

राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फ़ोर्स कहां गायब हो गई है। इसके हम जवाब ढूंढ रहे थे और आखिर हमें इसका जवाब मिला. वोट हमारे देश की बुनियाद है। वोट जिसे चुनाव आयोग सुरक्षित रखता है. इसे संविधान से ताक़त मिलती है। अगर वोट तबाह हो रहे हैं तो हमारा संविधान तबाह होगा।

इसकी कोई ताक़त नहीं रहेगी, इसका कोई काम नहीं रहेगा। अगर संविधान तबाह होता है तो हमारे क़ानून ख़त्म हो जाएंगे और संस्थानों का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये हमारे वोट पर हमला है। ये हर नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। हम लगातार कह रहे हैं कि वोट के साथ कोई न कोई दिक्कत है। चुनाव आयोग इसको सुरक्षित रखता है।

वोट चोरी, क़ानून चोरी और फिर संस्थान चोरी

राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा मांगते हुए कहा, कृपया समझें कि यहां क्या हो रहा है. आपने जो किया है, वह भारतीय राष्ट्र के ख़िलाफ़ एक काम है। यह चुनाव में कोई छोटी-मोटी धांधली नहीं है। यह भारत के संविधान पर हमला है, यह हमारे देश के कानूनी ढांचे पर हमला है, और आप ही वह व्यक्ति थे जिन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वोट सुरक्षित रहें। हम भारत में लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देंगे और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी- आज नहीं तो कल या परसों। उन्हें सज़ा मिलेगी ही. ज्ञानेश कुमार को अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और उन्हें सरकारी गवाह बन जाना चाहिए।

राहुल गांधी ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और गौतम अदाणी समेत सात लोगों की तस्वीरों को दिखाते हुए कहा कि ये लोकतंत्र को तबाह करने वाले लोग हैं और भारतीय चुनावों में 100 फ़ीसदी धांधली हो रही है। दो चुनाव आयुक्तों ने ज्ञानेश कुमार सवाल उठाए हैं। मैंने लगातार ये सवाल उठाए लेकिन अब दो चुनाव आयुक्तों ने सवाल उठाए हैं। ज्ञानेश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुना है। अब दो चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार हमारे वोटिंग सिस्टम को हो रहे नुक़सान के लिए ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार हैं। वोट चोरी के बाद क़ानून चोरी होती है और फिर संस्था चोरी होती है। अगर वोट चुरा लिया गया है और संसद में बैठा कोई सांसद कोई भी क़ानून बनाता है तो ये अवैध है।

राहुल गांधी ने एक टाइमलाइन भी इस दौरान दिखाई जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कब-कब चुनाव आयोग में गड़बड़ियों और वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी असहमति का नोट ज्ञानेश कुमार के चयन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था लेकिन उन्होंने ज्ञानेश कुमार को चुना। दबाव संस्थान पर बढ़ रहा है और हमें लगातार अंदर से ख़बरें मिल रही हैं।



भाजपा ने राहुल की समझ पर उठाए सवाल



भाजपा के राज्यसभा सासद सुधांशू त्रिवेदी ने राहुल गांधी को राजनीति के बारे में ज्ञान शून्य होने का दावा किया। उन्होंने कहा, 1967 के बाद से तमिलनाडु में कांग्रेस नहीं लौटी है, बंगाल में 1977 के बाद से कांग्रेस कभी वापस नहीं लौटी है। बिहार में 1990 के बाद से कभी कांग्रेस नहीं रही है। यूपी में 1989 के बाद से गांधी परिवार के गृह राज्य में उनकी सरकार नहीं रही है। 1999 के बाद से ओडिसा में सरकार नहीं रही है। राहुल गांधी को ज्ञान नहीं है। राहुल जी और सोनिया जी के आने के बाद एंटी इनकंबेंसी का सामना करना पड़ा है। गांधी परिवार 100 साल से कांग्रेस पार्टी की सत्ता में है। आज एंटी इनकंबेंसी इतनी मज़बूत हो गई है कि वो अपनी सीट बिना सहयोगी दल की बैसाखी के नहीं जीत सकते। 25 साल से रायबरेली और अमेठी सीट समाजवादी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस जीतती रही है वरना सोनिया गांधी और राहुल गांधी में क्षमता नहीं है कि अपनी ख़ानदानी सीट अपने दम पर निकाल लें। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वायनाड की सीट मुस्लिम लीग के समर्थन से जीती थी।





भाजपा नेतृत्व ने पुरानों को भुलाया, नए पर किया विश्वास

भाजपा के आठ और सपा के दो उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्वाचित

राजेंद्र कुमार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के आठों नए उम्मीदवार निर्विरोध सांसद चुन लिए गए हैं। पार्टी के फैसले सबको चौंका दिया है। पार्टी नेताओं को उम्मीद थी, कि यूपी से राज्य सभा के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, नीरज शेखर, बृजलाल, स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी का नाम जरूर होगा, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सभी को चौंकाते हुए धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनाया है. पार्टी ने लोकसभा चुनावों में हारे पार्टी नेताओं को दोबारा से राज्यसभा भेजने से दूरी बनाई है। ऐसा ही फैसला आने वाले दिनों में विधान परिषद के चुनावों में किया जा सकता है। इसके संभावना से योगी सरकार के चार मंत्री परेशान हो गए हैं। इन चारों मंत्रियों का कार्यकाल खत्म होने को है, ऐसे में अगर उन्हे रिपिट नहीं किया गया तो उन्हे मंत्री पद छोड़ना होगा। भाजपा के एक सीनियर नेता कहते हैं कि राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका रही है, जिसके चलते ही दो केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे को किनारे करते हुए एक राज्यपाल की बेटी को राज्यसभा भेजने को महत्व दिया गया है। जाहिर है कि इस तरह का सख्त फैसला लेने में सूबे के मुख्यमंत्री तक ही राय की अनदेखी ही गई है। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) से रामगोपाल यादव और धनराज नथवानी निर्विरोध राज्यसभा पहुंचे हैं।

तीन नहीं 403 सीटों पर निगाह : अखिलेश



चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से तीसरा उम्मीदवार खड़ा किए जाने की चर्चा लगातार चल रही थी। हालांकि, अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किए जाने के आखिरी दिन 6 अक्टूबर को 3 नहीं 403 सीटों के लक्ष्य की बात कर स्थिति साफ कर दी। पार्टी के तीसरे उम्मीदवार के मैदान में न उतरने से जीत के लिए जोड़-तोड़ का गणित तैयार नहीं करना पड़ा। नामांकन के बाद ही साफ हो गया था, कि भाजपा के आठ और सपा के दो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे।

इन्हें मिला राज्यसभा जाने का मौका

भाजपा 8 राज्य सभा उम्मीदवारों को निर्विरोध जिताने में कामयाब हुई। राज्य सभा जाने वालों में ओबीसी तथा दलित समाज के नेताओं को महत्व दिया गया है। इसके साथ ही इसमें दो ब्राह्मणों को राज्यसभा का टिकट देते हुए कुल तीन सवर्ण प्रत्याशी, राधा कृष्ण ओझा (ब्राह्मण), श्रीराम प्रताप सिंह चौहान (ठाकुर) और गोपी कृष्ण पांडे (ब्राह्मण) को राज्यसभा भेजा है।

भाजपा नेताओं का कहना है कि गोपी कृष्ण पांडे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं। इसके साथ दो प्रत्याशी दलित नेता प्रियंका रावत और विद्यासागर सोनकर को राज्यसभा भेजने का फैसला भी चौकाने वाला है। तीन ओबीसी समाज से धर्मपाल सिंह (लोधी), प्रकाश पाल (पाल) और श्रुति गंगवार (कुर्मी) को राज्यसभा भेजा गया हैं। श्रुति गंगवार पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी हैं। बरेली-बहेड़ी क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। भाजपा के यह आठ नेता अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के तौर पर चयनित किए गए हैं। धर्मपाल सिंह लोधी समाज से आते हैं, और वह योगी सरकार में पशुधन मंत्री हैं। जबकि विद्यासागर सोनकर भाजपा के प्रमुख दलित चेहरों में शामिल हैं। वह जौनपुर के रहने वाले हैं। मछलीशहर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। प्रकाश पाल पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राधाकांत ओझा के जरिए पार्टी ने कानूनी पेशे से जुड़े वरिष्ठ चेहरे को जगह दी है। गोपी कृष्ण पाण्डेय वरिष्ठ संगठनकर्ता और पार्टी पदाधिकारी हैं। लंबे समय से संगठन के जमीनी काम और पार्टी अभियानों में सक्रिय रहे हैं। उन्हे प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि भी बताया जाता है। राम प्रताप सिंह चौहान भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं। वर्ष 2017 से 2022 तक आगरा की एत्मादपुर सीट से विधायक रहे।

निर्विरोध चुने गए राज्य सभा सांसद

भाजपा के 8 उम्मीदवारों की सूची आने के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की नौबत नहीं आई और सभी उम्मीदवार निर्विरोध राज्य सभा सांसद चुन लिए गए। दरअसल यूपी की दस सीटों पर हो रहे चुनावों को लेकर भाजपा ने 9वां उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था, क्योंकि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता कि चुनावों में क्रॉस वोटिंग हो। कुछ ऐसी ही मंशा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी थी। इसीलिए उन्होने दो उम्मीदवारों का नामांकन कराया और तीसरे उम्मीदवार के लिए उन्होंने नंबर जुटाने की बात कही थी. उन्होने ऐसा इसलिए भी कहा था क्योंकि भाजपा के पास अपने नौवे और सपा को अपने तीसरे उम्मीदवार को जीतने के लिए पर्याप्त विधायक (नंबर) नहीं थे। विधानसभा के आंकड़ों को देखे तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मिलकर कुल 292 विधायक है। इसमें भाजपा के 256, अपना दल (एस) के 13, राष्ट्रीय लोकदल के 9, सुभासपा के 6 और निषाद पार्टी के 5 विधायक हैं। दो विधायक राजा भैया की पार्टी के हैं। इन्हें मिलाकर यह आंकड़ा 291 विधायकों का होता है। इसके अलावा सपा से भाजपा में आए मनोज पांडेय समेत तीन निर्दलीय विधायक हैं। कुल मिलाकर भाजपा के पास 294 विधायक हैं, चूंकि राज्यसभा की एक सीट के लिए 37 विधायकों की जरूरत है, इस तरह भाजपा को सात सीटें जीतने के लिए 259 विधायक चाहिए होंगे, जिसके बाद उसके पास 35 सरप्लस (अतिरिक्त) वोट बचेंगे। इसी प्रकार सपा और कांग्रेस को मिलाकर कुल 103 विधायक हैं। इसमें 101 विधायक सपा के हैं। इसके अलावा सपा के एक विधायक रमाकांत यादव जेल में हैं, ऐसी स्थिति में सपा के पास अतिरिक्त 28 वोट बचते। इन हालात में भाजपा को दो विधायकों का समर्थन और चाहिए तब ही उसका आठवां उम्मीदवार राज्यसभा पहुँच जाता, जबकि सपा को अपने तीसरे उम्मीदवार को जीतने के लिए भाजपा, सुभासपा, निषाद पार्टी और रालोद के नाराज विधायकों को मनाना होगा। इसलिए भाजपा ने नौवा उम्मीदवार खड़ा करने से दूरी बनाई है।

राज्यसभा चुनाव में जीते उम्मीदवार

धर्मपाल सिंह

योगी आदित्यनाथ सरकार में वजीर धर्मपाल सिंह भाजपा के उन नेताओं में शामिल हैं, जिनकी पहचान संगठन और विधानसभा की राजनीति दोनों से जुड़ी रही है। वह बरेली जिले की आंवला विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। अब राज्यसभा में पार्टी की आवाज बनेंगे। वे ओबीसी के लोध समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रो. रामगोपाल यादव

समाजवादी पार्टी ने सबसे अनुभवी चेहरा प्रो. रामगोपाल यादव को एक बार फिर राज्यसभा भेजा है। वे पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार से आते हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा हैं। पार्टी अपने अनुभवी नेतृत्व को राज्यसभा में बनाए रखने के लिए उन्हें भेजा है।

राधाकांत ओझा

भाजपा से राज्यसभा जाने वाले राधाकांत ओझा पेशे से वरिष्ठ वकील हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं। पार्टी के ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है।

प्रकाश पाल

भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी संगठन से निकले प्रकाश पाल संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने वाले नेता रहे हैं। वे भाजपा उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। कानपुर क्षेत्र से उनका राजनीतिक जुड़ाव रहा है। पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर वे राज्यसभा भेजे गए हैं।

विद्यासागर सोनकर

विद्यासागर सोनकर भाजपा के अनुभवी नेताओं में से एक हैं। पूर्वांचल के दलित नेता के तौर पर उनकी पहचान है। वे पूर्व विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं। पार्टी संगठन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं।

गोपी कृष्ण पांडेय

भारतीय जनता पार्टी संगठन और किसान मोर्चा से जुड़े गोपी कृष्ण पांडेय का नाम बड़ा नहीं है। हालांकि, संगठन में उनकी अलग पहचान है। कानपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते दिखेंगे।

प्रियंका सिंह रावत

भाजपा से बाराबंकी की पूर्व सांसद और दलित महिला नेता के तौर पर प्रियंका सिंह रावत ने प्रदेश की राजनीति में अलग पहचान बनाई है। भाजपा के प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। अवध क्षेत्र में दलित वोट बैंक को साधने में उनकी बड़ी भूमिका रहेगी।

राम प्रताप सिंह चौहान

आगरा जिले की एत्मादपुर विधानसभा सीट से राम प्रताप सिंह चौहान विधायक रह चुके हैं। वह भाजपा के प्रदेश महामंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। संगठन के आदमी की छवि उनसे जुड़ी है। वे क्षत्रिय समाज के चेहरे के तौर पर भाजपा से राज्यसभा जा रहे हैं।

श्रुति गंगवार

श्रुति गंगवार को भाजपा ने आठवां उम्मीदवार बनाया था। वे वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की बेटी हैं। उनका जुड़ाव बरेली और रोहिलखंड क्षेत्र से है। ओबीसी महिला चेहरे के तौर पर भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा है

धनराज परिमल नथवानी

धनराज परिमल नथवानी उद्योग जगत से जुड़े हैं। कॉरपोरेट क्षेत्र में उनका अनुभव रहा है। वह उद्योगपति परिमल नथवानी के बेटे हैं। उनका नाम रिलायंस समूह से जुड़ा हुआ है। उनकी उम्मीदवारी को लेकर खूब राजनीति गरमाई थी। अब वे राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हो गए हैं।

रथ पर सवार होकर अपने विधायक के घर चाय पीने गए अखिलेश

एक तीर से कई निशाने, लोध मतदाताओं को साधने की कोशिश

रायबरेली से फूंका चुनावी बिगुल मकसद कार्यकर्ताओं में जोश भरना



दीपक कृपलानी

लखनऊ। रायबरेली को शुरुआती पड़ाव बनाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक साथ कई राजनीतिक निशाने साधे हैं। मकसद सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं, बल्कि पीडीए की सामाजिक गोलबंदी मजबूत करना, बागी विधायकों के प्रभाव को चुनौती देना और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा के पक्ष में माहौल तैयार करना है। अवध की जमीन से शुरू हुआ यह अभियान गठबंधन की राजनीति में भी अखिलेश की भूमिका को नए सिरे से रेखांकित कर सकता है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी लड़ाई मतदान की तारीख घोषित होने के बाद ही शुरू नहीं होती। इसकी जमीन कई महीने पहले तैयार होने लगती है। कभी संगठनात्मक बैठकें इस तैयारी का हिस्सा बनती हैं, तो कभी यात्राओं, जनसभाओं और सामाजिक संपर्क अभियानों के जरिए राजनीतिक संदेश दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पीडीए रथयात्रा को इसी रणनीति के तहत देखा जा सकता है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली से अभियान की शुरुआत कर अखिलेश यादव ने अवध क्षेत्र को अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है।

रायबरेली का चयन सामान्य राजनीतिक फैसला नहीं माना जा सकता। यह गांधी परिवार की पारंपरिक राजनीतिक पहचान वाला जिला है, जहां कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। लेकिन विधानसभा चुनावों के समीकरण बताते हैं कि यहां समाजवादी पार्टी भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की पांच में से चार सीटों पर सपा ने जीत हासिल की थी। यही प्रदर्शन अखिलेश यादव के लिए आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करने में अहम आधार बन सकता है।

रायबरेली से रथयात्रा शुरू करके सपा नेतृत्व ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि पार्टी की राजनीति केवल अपने पारंपरिक गढ़ों तक सीमित नहीं है। वह उन इलाकों में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, जहां विपक्षी गठबंधन के दूसरे सहयोगियों का ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। इस लिहाज से पीडीए रथयात्रा को संगठन, सामाजिक समीकरण और गठबंधन की राजनीति को एक साथ साधने वाले अभियान के रूप में देखा जा सकता है।

रायबरेली से अवध तक, एक तीर से कई निशाने

अवध की राजनीति में जातीय समीकरणों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, उन्नाव और आसपास के जिलों में पिछड़े वर्गों, दलित समुदायों और अल्पसंख्यक मतदाताओं की भागीदारी चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है। यहां यादव, कुर्मी, लोधी और पासी सहित कई सामाजिक समूहों की राजनीतिक पसंद सीट-दर-सीट अलग-अलग परिणाम पैदा कर सकती है।

अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति इसी सामाजिक विविधता को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह राजनीतिक संदेश सपा के लिए केवल चुनावी नारा नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने की रणनीति भी है।

रथयात्रा के जरिए पार्टी इन समुदायों के बीच संवाद बढ़ाने, स्थानीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और अपने नेतृत्व की सीधी पहुंच स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सामाजिक समूहों की राजनीतिक आकांक्षाओं को एक साझा चुनावी प्राथमिकता में कैसे बदला जाए। यदि सपा इस चुनौती से निपटने में सफल होती है, तो अवध क्षेत्र उसके लिए प्रदेशव्यापी राजनीतिक बढ़त का आधार बन सकता है।

बागी विधायकों के सामने जनाधार की परीक्षा

रायबरेली से रथयात्रा शुरू करने का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदर्भ वर्ष 2024 का राज्यसभा चुनाव भी है। उस दौरान सपा के कुछ विधायकों ने पार्टी नेतृत्व से अलग रुख अपनाया था। इनमें ऊंचाहार से मनोज पांडेय, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह और गोसाईंगंज से अभय सिंह के नाम प्रमुख रहे। इन नेताओं के रुख ने सपा के संगठनात्मक अनुशासन और अवध क्षेत्र में



उसके राजनीतिक प्रभाव को लेकर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए यह जरूरी है कि पार्टी की ताकत को केवल विधानसभा में विधायकों की संख्या से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के समर्थन से भी प्रदर्शित किया जाए। रथयात्रा इसी राजनीतिक चुनौती का जवाब देने का माध्यम बन सकती है।

सपा की रणनीति का मूल संदेश यह है कि किसी नेता के पार्टी छोड़ने से पूरा सामाजिक आधार उसके साथ नहीं चला जाता। किसी क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय नेता का अपना प्रभाव हो सकता है, लेकिन चुनाव में संगठन, उम्मीदवार की स्वीकार्यता, स्थानीय मुद्दे और व्यापक राजनीतिक माहौल भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

अखिलेश यादव अगर अवध के उन इलाकों में कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय कर पाते हैं, जहां पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ा था, तो यह 2027 के लिए महत्वपूर्ण संगठनात्मक उपलब्धि होगी। इससे पार्टी को न केवल पुराने समर्थकों का भरोसा मजबूत करने का अवसर मिलेगा, बल्कि नए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी यह संदेश जाएगा कि सपा नेतृत्व अपने संगठन को दोबारा खड़ा करने के लिए मैदान में उतर चुका है।

गठबंधन में सपा की हैसियत का सवाल

रायबरेली का राजनीतिक महत्व समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों के संदर्भ में भी बढ़ जाता है। दोनों दल विपक्षी गठबंधन के सहयोगी हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर उनके बीच सहमति बनना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, सीट शेयरिंग की औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

फिर भी चुनावी राजनीति में संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन भविष्य की बातचीत को प्रभावित कर सकता है। वर्ष 2022 में रायबरेली जिले की पांच में से चार विधानसभा सीटें जीतने वाली सपा यह तर्क रख सकती है कि जिन इलाकों में उसका अपना मजबूत संगठन और चुनावी आधार है, वहां उसकी भूमिका को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, कांग्रेस के लिए रायबरेली केवल एक विधानसभा क्षेत्र या जिला नहीं, बल्कि उसकी ऐतिहासिक राजनीतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में दोनों दलों के सामने चुनौती होगी कि वे अपने-अपने संगठनात्मक हितों को विपक्षी एकता के व्यापक लक्ष्य के साथ संतुलित करें।

कांग्रेस की ओर से सपा के अभियान का स्वागत किए जाने और भाजपा को सत्ता से हटाने के साझा उद्देश्य पर जोर देने से यह संकेत मिलता है कि दोनों दल सार्वजनिक तौर पर गठबंधन की एकजुटता बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि, वास्तविक तालमेल की परीक्षा सीटों के बंटवारे, स्थानीय नेतृत्व और चुनावी रणनीति तय होने के समय होगी।

अखिलेश यादव के लिए रथयात्रा इस लिहाज से भी उपयोगी है कि वह गठबंधन के भीतर अपनी पार्टी की चुनावी क्षमता को प्रदर्शित कर सकें। मजबूत संगठन और प्रभावी जनसंपर्क से सपा अपने सहयोगियों के सामने अधिक ठोस राजनीतिक दावेदारी पेश कर सकती है।

स्थानीय विवाद को व्यापक सामाजिक मुद्दे से जोड़ने की रणनीति

रायबरेली में रथयात्रा की राजनीतिक पृष्ठभूमि में छात्र संगठनों के बीच हुआ विवाद भी शामिल है। 17 सितंबर को फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में समाजवादी छात्रसभा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की खबर सामने आई थी। इसके बाद सपा विधायक राहुल लोधी ने पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए थे। प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की प्रतिक्रिया और अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद यह मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय बन गया।

अखिलेश यादव ने इस घटना को पीडीए पर प्रहार के रूप में पेश किया। इस राजनीतिक प्रस्तुति का उद्देश्य स्थानीय विवाद को पिछड़े वर्गों, दलितों और युवाओं के सम्मान तथा अधिकारों से जुड़े व्यापक विमर्श के साथ जोड़ना माना जा सकता है।

सपा के लिए यह रणनीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पीडीए का आधार केवल जातीय प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रह सकता। उसे शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सम्मान, प्रशासनिक निष्पक्षता और युवाओं के अवसरों जैसे मुद्दों से भी जोड़ना होगा। यदि पार्टी इन सवालों को स्थानीय स्तर पर विश्वसनीय तरीके से उठाती है, तो वह अपने सामाजिक गठबंधन को व्यापक राजनीतिक समर्थन में बदलने का प्रयास कर सकती है।

हालांकि, ऐसे मुद्दों पर जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए आरोपों के साथ तथ्यों और जवाबदेही पर भी जोर देना जरूरी होगा। किसी एक घटना को व्यापक राजनीतिक संदेश में बदलने की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पार्टी उसके बाद संबंधित समुदायों के सवालों पर कितना लगातार काम करती है।

रथयात्रा की राजनीति और अखिलेश का पुराना अनुभव

समाजवादी पार्टी की राजनीति में रथयात्राओं का अपना महत्व रहा है। वर्ष 2011-12 की समाजवादी क्रांति रथयात्रा ने अखिलेश यादव को प्रदेशव्यापी राजनीतिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 2021 में समाजवादी विजय रथयात्रा के जरिए उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को सक्रिय करने और भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी।

इन अभियानों से पार्टी को जनसंपर्क का एक ऐसा माध्यम मिला, जिसके जरिए नेतृत्व सीधे कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच पहुंच सकता है।



रथयात्रा का राजनीतिक महत्व केवल मंच से दिए गए भाषणों में नहीं, बल्कि रास्ते में होने वाले स्वागत, स्थानीय नेताओं की भागीदारी और संगठन की सक्रियता में भी दिखाई देता है। पीडीए रथयात्रा को इसी अनुभव की अगली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, पहले के अभियानों से मिले जनसमर्थन को आगामी चुनाव की जीत की गारंटी नहीं माना जा सकता। चुनावी नतीजों पर उम्मीदवारों के चयन, स्थानीय मुद्दों, संगठन की मजबूती, विपक्षी गठबंधन और मतदान प्रतिशत सहित कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती यह है कि यात्रा से पैदा होने वाले उत्साह को स्थायी संगठनात्मक मजबूती में बदला जाए। यदि यात्रा के बाद बूथ स्तर पर संपर्क, मतदाताओं की समस्याओं का समाधान और स्थानीय कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने का काम जारी रहता है, तो इसका राजनीतिक लाभ लंबे समय तक मिल सकता है।

हर विधानसभा में 27 हजार अतिरिक्त वोट का लक्ष्य

समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारी का एक महत्वपूर्ण पहलू बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 27 हजार अतिरिक्त वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए 'समाजवादी स्वाभिमान एप' के माध्यम से बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ने की योजना बताई गई है।

इस रणनीति का जोर ऐसे मतदाताओं तक पहुंचने पर है, जो पिछले चुनावों में मतदान नहीं कर सके या पार्टी के समर्थक होने के बावजूद वोट डालने नहीं पहुंचे। पार्टी की योजना के मुताबिक, परिवारों और मतदाताओं से संपर्क स्थापित करके उन्हें मतदान के प्रति जागरूक करने तथा चुनाव के दिन संगठनात्मक समन्वय मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा।

यह लक्ष्य सपा की चुनावी तैयारी को एक व्यावहारिक दिशा देता है। राजनीतिक दलों के लिए केवल समर्थकों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होता; समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बूथ स्तर पर मतदाता संपर्क और संगठनात्मक निगरानी इस अंतर को कम करने में मदद कर सकती है।हालांकि, हर विधानसभा में 27 हजार अतिरिक्त वोट जुटाने का लक्ष्य कितना हासिल हो पाएगा, यह स्थानीय सामाजिक समीकरणों, मतदाता सूची, संगठन की सक्रियता और मतदान के दिन की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। फिर भी इस तरह के लक्ष्य यह संकेत देते हैं कि सपा अपनी चुनावी तैयारी को केवल बड़े नेताओं की सभाओं तक सीमित रखने के बजाय बूथ स्तर तक ले जाना चाहती है।

2027 की लड़ाई में पीडीए कितना प्रभावी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी भी दल के लिए प्रदेशव्यापी जीत का रास्ता अलग-अलग क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन से होकर गुजरता है। अवध क्षेत्र में सपा की संभावनाएं इस बात पर निर्भर करेंगी कि वह अपने पुराने चुनावी आधार को कितना मजबूत करती है और नए सामाजिक समूहों तक कितनी प्रभावी पहुंच बनाती है। रायबरेली से शुरुआत करके अखिलेश यादव ने तीन स्तरों पर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। पहला, सपा अपने संगठन और सामाजिक आधार को लेकर आश्वस्त है। दूसरा, पार्टी बगावत और आंतरिक चुनौतियों के बावजूद अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में दोबारा मजबूती हासिल करना चाहती है। तीसरा, वह कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र चुनावी ताकत प्रदर्शित करना चाहती है।

इन तीनों उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। पीडीए की सामाजिक गोलबंदी को सीटों में बदलने के लिए स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता और विभिन्न समुदायों के बीच भरोसा कायम करना होगा। साथ ही कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर ऐसी सहमति बनानी होगी, जिससे दोनों दलों के समर्थकों के बीच मतभेद कम हों।

रायबरेली की रथयात्रा इस व्यापक रणनीति का शुरुआती पड़ाव है। इसके वास्तविक परिणाम आगे के जिलों में मिलने वाली प्रतिक्रिया, संगठन की सक्रियता और बूथ स्तर पर होने वाले काम से स्पष्ट होंगे।

अखिलेश यादव के लिए असली परीक्षा रथयात्रा में जुटने वाली भीड़ से आगे की है। यदि यह भीड़ स्थायी राजनीतिक समर्थन, मजबूत बूथ संगठन और पीडीए के पक्ष में व्यापक सामाजिक एकजुटता में बदलती है, तो अवध क्षेत्र 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की दावेदारी को मजबूती दे सकता है। रायबरेली से शुरू हुआ यह अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें अखिलेश यादव केवल चुनावी माहौल बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पार्टी के संगठन, सामाजिक गठबंधन और विपक्षी राजनीति में नेतृत्व की भूमिका को भी मजबूत करने की राह तलाश रहे हैं।

मुल्ला अफ़रोज़ मामले में सुप्रीम कोर्ट की सरकार पर तल्ख टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को पलटा, 10 लाख रुपए जुर्माना

सैय्यद हसन एजाज



लखनऊ। देश की सब से बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल निवासी मुल्ला अफ़रोज़ के खिलाफ़ जारी प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश को रद्द करते हुए सरकार पर तल्ख टिपण्णी की है। अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को भी पलट दिया, जिसमें अफरोज की हिरासत को क़ानूनी रूप से वैध माना गया था। अफ़रोज़ संभल के एक कारोबारी और प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो फिलहाल मुरादाबाद जिला जेल में बंद हैं। अफरोज का मामला नवंबर 2024 में संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा से जुड़ा है। इस हिंसा में गोली लगने से चार लोगों की मौत हो गई थी। घटना के लगभग 54 दिन बाद पुलिस ने जनवरी 2025 में अफ़रोज़ को गिरफ़्तार किया था।

जब अफ़रोज़ को आपराधिक मामलों में ज़मानत मिलने लगी, तो संभल के जिला मजिस्ट्रेट ने 13 अक्तूबर 2025 को उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत एक साल के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दी. प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसा क़ानूनी प्रावधान है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को भविष्य में क़ानून-व्यवस्था बिगाड़ने से रोकने के लिए बिना ट्रायल के हिरासत में रखा जाता है।

अफ़रोज़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। जून 2026 में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए ख़ारिज कर दी थी कि प्रशासन को हिरासत में लेने का पर्याप्त आधार लगा था और अदालत सबूतों की गहराई में नहीं जा सकती।

अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने इस मामले में कई अहम क़ानूनी सवाल उठाए। पुलिस का पूरा मामला मुख्य रूप से अफ़रोज़ के उस इकबालिया बयान यानी कन्फेशन पर टिका था, जो कथित तौर पर पुलिस हिरासत में लिया गया था। अफ़रोज़ का आरोप था, कि यह बयान पुलिस ने प्रताड़ना और एनकाउंटर की धमकी देकर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 20(3) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 का हवाला दिया। ये क़ानून किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ़ गवाही देने के लिए मजबूर करने से बचाते हैं और पुलिस के सामने दिए गए बयान को अदालत में पुख्ता सबूत नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखा, पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया इकबालिया बयान, बिना किसी अन्य स्वतंत्र सबूत के, प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेश को सही ठहराने का आधार नहीं बन सकता। बेंच ने यह भी पाया कि जिन सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर अफ़रोज़ को मास्टरमाइंड बताया गया था, वे न तो उन्हें सौंपे गए और न ही अदालत में पेश किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अफ़रोज़ को मिली ज़मानत को बेअसर करने के लिए इस असाधारण क़ानून का इस्तेमाल किया. अदालत ने कहा कि यह हिरासत निवारक यानी प्रिवेंटिव कम और दंडात्मक ज़्यादा लग रही है।

अफ़रोज़ के वकील ने क्या कहा

अफ़रोज़ पर लगाया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन का आदेश एक साल के लिए था, जो अब कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला था।

यानी इस आदेश को ग़ैर-क़ानूनी साबित करने की लंबी क़ानूनी लड़ाई में उन्हें अपनी हिरासत की लगभग पूरी अवधि जेल में ही गुज़ारनी पड़ी। इस पर ज़ोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखा, इस मामले में प्रक्रिया ही सज़ा बन गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक असाधारण क़दम है और इसका इस्तेमाल बेहद दुर्लभ मामलों में ही होना चाहिए।

अफ़रोज़ की आज़ादी लगभग एक साल के लिए छिन गई थी, हालांकि उन्हें बाक़ी सारे मामलों में ज़मानत मिल चुकी थी, जिनमें वे अभियुक्त थे. इसकी भरपाई के लिए अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अफ़रोज़ के वकील दिव्येश प्रताप सिंह ने इस फ़ैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे और उनकी क़ानूनी टीम अदालत के इस क़दम से बेहद खुश और संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि हिरासत का आदेश बहुत कमज़ोर था और इसमें कोई दम नहीं था। उनके मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले ने उनको पूरी तरह से सही साबित कर दिया है।



कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत, हत्या या आत्महत्या !

मां ने लगाया- लिव-इन पार्टनर श्रद्धा दुबे पर हत्या का आरोप

शारिब जाफरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 9 अक्टूबर की शाम बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर अचानक हलचल हुई और 27 वर्षीय शिवा शर्मा का शव ग्राउंड फ्लोर पर पाया गया। शिवा कैफे, चिकन शॉप और रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े थे। घटना के बाद उनकी मां रंजना शर्मा ने बेटे की मौत को हादसा या आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए उसकी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा दुबे, उसकी बहन और अन्य लोगों पर हत्या, प्रताड़ना तथा ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए है।

10 अक्टूबर को पुलिस ने शिवा शर्मा की मां की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इस मामले के कई पहलू सामने आए। पुलिस ने अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की, जबकि परिवार ने आरोप लगाया कि शिवा शर्मा को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। दूसरी ओर, शिवा का नाम पहले गोमतीनगर के एक क्लब में हुई फायरिंग के मामले में भी सामने आ चुका था। इस कारण उसकी निजी जिंदगी, कारोबारी गतिविधियों और पुराने आपराधिक मामले को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिवा चौथी मंजिल से किन परिस्थितियों में नीचे गिरा. क्या यह दुर्घटना थी, आत्महत्या या फिर किसी साजिश का नतीजा. पुलिस के सामने इन तीनों संभावनाओं की जांच कर साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक घटनाक्रम स्थापित

करने की चुनौती है।

शाम को आई फोन कॉल, फिर अस्पताल पहुंचा परिवार

शिवा शर्मा अलीगंज के सेक्टर-एफ में अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार के मुताबिक, 9 अक्टूबर की शाम उनकी मां रंजना शर्मा को फोन आया। उन्हें बताया गया कि शिवा शर्मा की तबीयत बिगड़ गई है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है।

मां की शिकायत के मुताबिक, फोन करने वालों में श्रद्धा दुबे और उसके परिचित आदिल का नाम सामने आया। परिवार को बाद में जानकारी मिली कि शिवा शर्मा को अस्पताल ले जाया गया है। विभिन्न समाचार रिपोर्टों में उसके इलाज के लिए पहले एक निजी अस्पताल और फिर दूसरे अस्पतालों में ले जाए जाने का उल्लेख है। अंततः उसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिवार का आरोप था, कि अस्पताल में शिवा शर्मा को लेकर पहुंचे लोगों ने उन्हें दूर से उसका शव दिखाया और वहां से चले गए। मां ने शरीर पर चोटों के निशान देखकर संदेह जताया कि बेटे के साथ कोई गंभीर घटना हुई थी।

परिवार के लिए यह केवल एक अचानक हुई मौत नहीं थी। मां का दावा था, कि शिवा शर्मा पिछले कुछ महीनों से परेशान था और उसके संबंधों में तनाव चल रहा था। इसी आधार पर उन्होंने पुलिस से घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की।

मां की शिकायत पर हत्या का मुकदमा

रंजना शर्मा की शिकायत के आधार पर हजरतगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर में श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे, आदिल, एक ड्राइवर और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी या संदिग्ध के रूप में नामजद किया गया। परिवार का आरोप था कि शिवा शर्मा को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। मां ने दावा किया कि श्रद्धा उसे झूठे मुकदमे में फंसाने और बदनाम करने की धमकी देती थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिवा पर संबंध बनाए रखने का दबाव डाला जा रहा था।

शिकायत में कथित मारपीट, ब्लैकमेलिंग और धमकियों का भी जिक्र किया गया। परिवार ने यह आशंका जताई कि घटना से पहले शिवा के साथ मारपीट की गई और बाद में उसे चौथी मंजिल से नीचे गिरा दिया गया। हालांकि, मुकदमा दर्ज होना आरोपों की पुष्टि नहीं है। पुलिस को यह स्थापित करना था कि घटना के समय क्या हुआ, कौन-कौन मौजूद था और प्रत्येक नामजद व्यक्ति की वास्तविक भूमिका क्या थी।

सीसीटीवी फुटेज में क्या मिला

घटना की जांच में सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सामने आया। अब तक की खबरों के मुताबिक, पुलिस ने अपार्टमेंट के कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली।

शुरुआती जांच में शिवा के श्रद्धा दूबे के फ्लैट से गिरने की बात सामने आने का उल्लेख किया गया, लेकिन केवल फ्लैट से गिरने की पुष्टि होने से यह स्पष्ट नहीं होता कि वह कैसे गिरा। क्या किसी ने उसे धक्का दिया, उसने खुद छलांग लगाई या कोई दुर्घटना हुई. इन सवालों का जवाब फुटेज की पूरी रिकॉर्डिंग, घटनास्थल और अन्य साक्ष्यों के मिलान से ही मिल सकता था।

पुलिस ने घटना से पहले और बाद की गतिविधियों की पड़ताल शुरू की। यह जानना भी जरूरी था कि शिवा के गिरने के समय फ्लैट में कौन मौजूद था, उसे अस्पताल कौन लेकर गया और वहां से संबंधित लोग किस परिस्थिति में निकले।

हजरतगंज पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामले में परिवार के आरोपों के साथ घटना की परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है। उस समय तक किसी एक संभावना को अंतिम निष्कर्ष के रूप में पेश करना जल्दबाजी होती।

पुलिस के सामने अहम सवाल

कैसे गिरा शिवा शर्मा

सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल के साक्ष्यों से यह स्थापित करना जरूरी था कि चौथी मंजिल से गिरने की परिस्थितियां क्या थीं।

घटना के समय फ्लैट में कौन था

घटना के समय वहां मौजूद लोगों, अपार्टमेंट के कर्मचारियों और अन्य संभावित गवाहों के बयान महत्वपूर्ण हो सकते थे।

अस्पताल तक पहुंचाने का घटनाक्रम

शिवा को कहां-कहां ले जाया गया, किसने उसे अस्पताल पहुंचाया और परिवार को किस समय क्या सूचना दी गई। इन तथ्यों का मिलान जरूरी था।

क्या पहले से प्रताड़ना व धमकी के साक्ष्य थे

परिवार के आरोपों की पुष्टि के लिए संदेश, कॉल रिकॉर्ड, शिकायतें और अन्य उपलब्ध सामग्री की जांच की जरूरत थी।

आरोपियों की अलग-अलग भूमिका क्या थी

मुकदमे में नाम आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों की अलग-अलग पड़ताल आवश्यक थी। केवल परिचित होने या संबंध में होने से किसी की आपराधिक भूमिका सिद्ध नहीं होती।

हजरतगंज पुलिस ने इस मामले में अब तक आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस ने शिवा शर्मा के दोस्तों के भी बयान दर्ज किये हैं। इस मामले में हुसैनाबाद में रहने वाले आमिर से भी पुलिस ने गहन पूछताछ की है। आमिर बड़ा कारोबारी बताया जा रहा है।

चार महीने से साथ रहने का दावा, संबंधों में तनाव का आरोप

शिवा शर्मा और श्रद्धा दूबे के संबंध इस मामले का एक अहम पहलू बनकर सामने आए। समाचार रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों कुछ महीनों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। श्रद्धा दूबे मॉडलिंग और सोशल मीडिया गतिविधियों से जुड़ी थीं, जबकि शिवा शर्मा कैफे और रेस्टोरेंट कारोबार चलाते थे।

परिवार का दावा था कि संबंधों में तनाव बढ़ गया था। मां ने आरोप लगाया कि श्रद्धा दूबे शिवा शर्मा पर साथ रहने का दबाव बनाती थी और विरोध करने पर उसे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती थी।

परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि शिवा शर्मा को ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसके साथ कथित मारपीट और सिगरेट से जलाने जैसे आरोप भी लगाए गए। इन आरोपों को लेकर पुलिस से जांच की मांग की गई।

हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उस समय तक सार्वजनिक रूप से नहीं हुई थी। यह भी स्पष्ट नहीं था कि कथित विवादों की कोई पूर्व शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी या नहीं। इसलिए संबंधों में तनाव को घटना का स्थापित कारण मानने के बजाय जांच का एक पहलू समझना जरूरी था।

शिवा का पुराना आपराधिक मामला भी चर्चा में

अब तक सामने आई रिपोर्टों में शिवा के आपराधिक अतीत का भी उल्लेख हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक, 30 अगस्त को गोमतीनगर के एक क्लब में हुई फायरिंग के मामले में उसका नाम आया था। इस मामले में उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किए जाने और उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा बिहार के पटना से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी भी प्रकाशित हुई।

रिपोर्टों में बताया गया कि गिरफ्तारी के बाद शिवा शर्मा जेल गया था और बाद में रिहा हुआ। इस पृष्ठभूमि के सामने आने के बाद उसकी निजी जिंदगी और कथित संबंधों को लेकर कई सवाल उठे।

परिवार का आरोप था कि शिवा शर्मा के पुराने मामले का इस्तेमाल उसे डराने या दबाव में रखने के लिए किया जा रहा था। लेकिन इस दावे की पुष्टि के लिए स्वतंत्र साक्ष्य जरूरी थे। शिवा का पुराना आपराधिक मामला उसकी मौत की परिस्थितियों का स्वतः स्पष्टीकरण नहीं देता। किसी व्यक्ति का पूर्व में आरोपी होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसकी बाद की मौत दुर्घटना, आत्महत्या या हत्या में से किस कारण हुई। वर्तमान मामले की जांच उसके अपने साक्ष्यों के आधार पर ही होनी थी।

भदोही में लगा 50वां कारपेट एक्सपो

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया एक्सपो का उद्घाटन

45 देशों से पहुंचे विदेशी खरीदार



टीएनसी ब्यूरो

500 करोड़ रूपये के कारोबार का अनुमान, कारपेट एक्सपो से भदोही को मिल रही अलग पहचान

भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही में आयोजित 50वां इंडिया कारपेट एक्सपो भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी ताकत दिखाने का एक महत्वपूर्ण अवसर बनकर सामने आया। चार दिनों तक चले इस अंतरराष्ट्रीय मेले में देश के विभिन्न कालीन उत्पादक क्षेत्रों के निर्यातकों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। अमेरिका, जर्मनी, इटली, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, तुर्किये, कनाडा और ब्रिटेन समेत अनेक देशों से आए विदेशी खरीदारों ने भारतीय कालीनों, गलीचों और अन्य फ्लोर कवरिंग उत्पादों में रुचि दिखाई।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अक्टूबर 2026 को भदोही स्थित कारपेट एक्सपो मार्ट में मेले का उद्घाटन किया। यह आयोजन कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) की ओर से किया गया। मेले के स्वर्ण जयंती संस्करण में विदेशी खरीदारों की भागीदारी और निर्यातकों से मिले सकारात्मक संकेतों ने क्षेत्र के कारोबारियों में नई उम्मीद जगाई है। मेले से लगभग 500 करोड़ रूपये के संभावित व्यापार सृजन का अनुमान है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन के अवसर पर कालीन उद्योग से जुड़े उद्यमियों, निर्यातकों और कारीगरों की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और हस्तनिर्मित कालीनों के डिजाइन, रंगों तथा निर्माण की बारीकियों को देखा।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भदोही और आसपास के क्षेत्रों की कालीन कला को देश-विदेश में पहचान दिलाने के लिए तकनीक, डिजाइन, बाजार और बेहतर संपर्क व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विस्तार और पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात भी कही।

योगी आदित्यनाथ ने भदोही के कालीन उद्योग को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना से जोड़ने का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और कारीगरों की प्रतिभा को सामने लाने में सहायता मिली है। उनके अनुसार, बेहतर बुनियादी ढांचा और सुरक्षित कारोबारी वातावरण उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक हैं।

500 करोड़ के कारोबार का अनुमान

मेले के समापन के बाद कालीन निर्यात संवर्धन परिषद की ओर से निर्यातकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर लगभग 500 करोड़ रूपये के संभावित कारोबार का अनुमान सामने आया। परिषद के अनुसार, विदेशी खरीदारों की भागीदारी और उनसे हुई बातचीत के आधार पर आने वाले महीनों में व्यापार बढ़ने की उम्मीद है।

यहां यह समझना जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में संभावित कारोबार का अनुमान और वास्तव में पूरे हुए निर्यात सौदे अलग-अलग होते हैं। किसी खरीदार द्वारा कालीन पसंद किए जाने, नमूना मंगाने, कीमत पर बातचीत करने या भविष्य में ऑर्डर देने की

447 विदेशी खरीदारों और प्रतिनिधियों की भागीदारी

इस बार के मेले की प्रमुख विशेषता विदेशी खरीदारों की भागीदारी रही। सीईपीसी के अध्यक्ष कैप्टन मुकेश ने बताया के चार दिवसीय आयोजन में 45 देशों से 216 विदेशी खरीदार पहुंचे। इनके अतिरिक्त 231 खरीदार प्रतिनिधियों ने भी मेले में भाग लिया। इस प्रकार विदेशी खरीदारों और उनके प्रतिनिधियों की कुल भागीदारी 447 रही। मेले में अमेरिका से सबसे अधिक 30 खरीदार पहुंचे। ब्राजील और इटली से 15-15, जर्मनी से 13 तथा ऑस्ट्रेलिया से 11 खरीदारों की भागीदारी दर्ज की गई। रूस और तुर्की से भी खरीदार और एजेंट पहुंचे। अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता, डिजाइन और कीमतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। ब्रिक्स देशों के खरीदारों पर भी इस संस्करण में विशेष ध्यान दिया गया। हालांकि, इन देशों से पंजीकरण कराने वाले सभी खरीदार मेले में नहीं पहुंच सके। रिपोर्ट के अनुसार, 106 पंजीकृत ब्रिक्स खरीदारों में से 40 ने आयोजन में भाग लिया।



संभावना बनने से कारोबार का अवसर पैदा होता है। इसके बाद डिजाइन की स्वीकृति, गुणवत्ता परीक्षण, भुगतान की शर्तें, उत्पादन, पैकिंग और माल की आपूर्ति जैसे चरण पूरे होने पर वास्तविक निर्यात कारोबार दर्ज होता है। इसलिए मेले से जुड़े 500 करोड़ रूपये के अनुमान को संभावित व्यावसायिक अवसर के रूप में देखना उचित होगा। यदि इन संभावनाओं का पर्याप्त हिस्सा वास्तविक ऑर्डर में बदलता है, तो इससे निर्यातकों, बुनकरों, रंगाई इकाइयों, डिजाइनरों और परिवहन से जुड़े कारोबारियों को लाभ मिल सकता है।

भदोही लंबे समय से हाथ से बनी कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए जाना जाता है। यहां की कालीनों में पारंपरिक भारतीय कला, बारीक बुनाई, आकर्षक रंग संयोजन और बदलते अंतरराष्ट्रीय फैशन के अनुरूप डिजाइन का मेल देखने को मिलता है।



भदोही के साथ मिर्जापुर और वाराणसी का कालीन एवं रेशम उत्पादन क्षेत्र भी इस उद्योग की महत्वपूर्ण कड़ी है। संत रविदास नगर भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के रेशम एवं कालीन क्लस्टर से लगभग 6,100 करोड़ रूपये का निर्यात कारोबार जुड़ा है। इन क्षेत्रों का योगदान देश के कुल कालीन निर्यात में लगभग 60 प्रतिशत बताया जाता है।

भदोही जिले में लगभग 2,500 एमएसएमई इकाइयां हैं और उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से पांच लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। ये आंकड़े क्षेत्रीय उद्योग के व्यापक आर्थिक महत्व को दर्शाते हैं।

कालीन उद्योग का प्रभाव केवल कारखानों या निर्यात प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रहता। इसके साथ ऊन और अन्य कच्चे माल की आपूर्ति, धागा तैयार करने, रंगाई, बुनाई, धुलाई, फिनिशिंग, डिजाइन, पैकिंग और माल ढुलाई जैसे अनेक काम जुड़े हैं। इस कारण कालीन उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था में कई स्तरों पर रोजगार और आय के अवसर पैदा करता है।

ओडीओपी व तकनीकी शिक्षा की भूमिका

उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत भदोही के कालीन उत्पादों को विशेष पहचान



दी गई है। इस योजना का उद्देश्य जिले के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहन देना, उनकी गुणवत्ता सुधारना, विपणन को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाना है।

भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी) की स्थापना भी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। संस्थान कालीन और वस्त्र क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा तथा डिजाइन, रंगाई और उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है।

आधुनिक बाजार में केवल अच्छी बुनाई पर्याप्त नहीं है। खरीदारों की पसंद के अनुरूप रंग, आकार, बनावट, टिकाऊपन और समय पर आपूर्ति भी महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ पर्यावरण संबंधी मानकों, उत्पादन प्रक्रिया की पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना पड़ता है। तकनीकी प्रशिक्षण और नए डिजाइन विकसित करने की क्षमता छोटे उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद कर सकती है।

हस्तनिर्मित कालीनों में भारतीय कारीगरों की मेहनत

मशीन से बनने वाले उत्पादों के बीच हाथ से तैयार कालीन अपनी विशिष्ट बनावट और कारीगरी के कारण अलग पहचान रखते हैं। एक हस्तनिर्मित कालीन को तैयार करने में बुनकरों की मेहनत, धागों का चयन, रंगों का संयोजन और डिजाइन की बारीकियों का विशेष महत्व होता है।

भदोही क्षेत्र के अनेक परिवार पीढ़ियों से इस कला से जुड़े हैं। कालीन के डिजाइन में पारंपरिक रूपांकनों के साथ आधुनिक ज्यामितीय आकृतियों, नए रंगों और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की पसंद को भी जगह मिल रही है।

मेले में निर्यातकों को विदेशी खरीदारों के सामने अपने उत्पाद सीधे प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इससे खरीदारों को उत्पाद की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया को समझने तथा निर्यातकों को ग्राहकों की आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है।

निर्यातकों के लिए संपर्क व कारोबार के लिए अनूठा मंच

कारपेट एक्सपो का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विदेशी खरीदार केवल प्रदर्शनी में उत्पाद देखने तक सीमित नहीं रहते। वे स्थानीय निर्यात प्रतिष्ठानों और उत्पादन इकाइयों का दौरा कर सकते हैं। इससे उन्हें उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया समझने, गुणवत्ता का आकलन करने और सीधे कारोबारियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है। भदोही में आयोजित इस मेले को लेकर कुछ निर्यातकों ने विदेशी खरीदारों की भागीदारी को सकारात्मक बताया। वहीं कुछ कारोबारियों ने यह भी संकेत दिया कि खरीदारों की संख्या अच्छी होने के बावजूद वास्तविक खरीदारी हर दिन समान रूप से उत्साहजनक नहीं रही। इस प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है कि मेले की सफलता का मूल्यांकन केवल आगंतुकों की संख्या से नहीं, बल्कि अंतिम ऑर्डर, निर्यात मूल्य और दीर्घकालिक कारोबारी संबंधों के आधार पर भी किया जाना चाहिए।



हस्तनिर्मित कालीनों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) से जुड़ी पहचान भी प्राप्त है। ऐसी पहचान पारंपरिक उत्पादों की क्षेत्रीय विशिष्टता को सामने लाने में सहायक हो सकती है। हालांकि, वैश्विक बाजार में इस पहचान का पूरा लाभ उठाने के लिए गुणवत्ता बनाए रखना, नकली उत्पादों से मुकाबला करना और ब्रांडिंग को मजबूत करना भी आवश्यक है।

विदेशी बाजारों में अवसर और चुनौतियां

अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य बाजारों में भारतीय कालीनों की मांग के अवसर मौजूद हैं, लेकिन निर्यातकों को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय शुल्क नीतियां, माल ढुलाई की लागत, विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव, प्रतिस्पर्धी देशों के उत्पाद और खरीदारों की बदलती पसंद कारोबार को

प्रभावित कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, विदेशी ग्राहकों को समय पर आपूर्ति, तय गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमत की अपेक्षा रहती है। छोटे उत्पादकों के लिए इन सभी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना आसान नहीं होता। ऐसे में निर्यातकों के बीच सहयोग, साझा डिजाइन सुविधाएं, बेहतर वित्तीय सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण उद्योग की क्षमता बढ़ाने में उपयोगी हो सकते हैं।

भदोही जैसे पारंपरिक उत्पादन केंद्र के लिए यह भी जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग का लाभ कारीगरों तक पहुंचे। निर्यात में वृद्धि का वास्तविक सामाजिक प्रभाव तभी व्यापक होगा, जब बुनकरों को नियमित काम, उचित पारिश्रमिक और बेहतर कार्य परिस्थितियां मिलें।

क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मिल सकती है नई गति

कालीन मेले का महत्व भदोही के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से आगे तक फैला हुआ है। यदि विदेशी खरीदारों से प्राप्त पूछताछ और संभावित ऑर्डर वास्तविक कारोबार में बदलते हैं, तो उत्पादन इकाइयों में काम बढ़ सकता है। इसका असर धागा आपूर्तिकर्ताओं, रंगाई करने वालों, बुनकरों, पैकिंग इकाइयों, परिवहन कारोबार और स्थानीय सेवा क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। स्थानीय उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए निर्यात मेलों का नियमित आयोजन, बेहतर सड़क एवं हवाई संपर्क, डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइन नवाचार और छोटे उद्यमों को बाजार संबंधी सहायता देना महत्वपूर्ण रहेगा। साथ



ही, कारोबार के वास्तविक परिणामों का पारदर्शी आकलन होना चाहिए, ताकि यह समझा जा सके कि कितने संभावित ऑर्डर अंतिम निर्यात में बदले और स्थानीय रोजगार पर उनका क्या प्रभाव पड़ा।

वैश्विक पहचान को स्थायी कारोबार में बदलने की चुनौती

भदोही में आयोजित 50वां इंडिया कारपेट एक्सपो पारंपरिक कालीन उद्योग को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, 45 देशों से विदेशी खरीदारों की भागीदारी और लगभग 500 करोड़ रूपये के संभावित कारोबार का अनुमान इस आयोजन की प्रमुख विशेषताएं रहीं।

> इस बार का कार्पेट एक्सपो कालीन निर्यातकों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। विदेशी व्यापारियों ने जिस तरह की रुचि मेले में आकर दिखाई है। उससे उम्मीदें हैं कि कारोबार को गति मिलेगी और व्यापार बढ़ेगा।
>
> - **कैप्टन मुकेश,** चेयरमैन, सीईपीसी

> कालीन के शहर भदोही के लिए गर्व की बात है कि 50वां कार्पेट एक्सपो यहां सम्पन्न हुआ है। 500 से करीब विदेशी व्यापारी और व्यापारी प्रतिनिधियों की आमद हुई है, जिससे लगभग 500 करोड़ से अधिक का व्यापार भदोही के निर्यातकों को मिलने की उम्मीद है।
>
> - **असलम महबूब,** वाइस चेयरमैन, सीईपीसी

> भदोही में कार्पेट एक्सपो का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। इस मेले में सरकार की ओर से व्यापारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। भारी संख्या में विदेशी व्यापारी यहां पहुंचे। सरकार का लक्ष्य व उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक रोजगार सृजन कराना है। इस मेले से बड़ी उम्मीदें हैं।
>
> - **शैलेश कुमार,** जिलाधिकारी, भदोही



उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल

'मोना' प्रदेश अध्यक्ष, इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी



सैय्यद कासिम

लखनऊ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों को तेज करते हुए प्रदेश इकाई में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। कांग्रेस आलाकमान ने 2 अक्टूबर 2026 को अजय राय की जगह आराधना मिश्रा 'मोना' को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) की नई प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, जबकि सहारनपुर के लोकसभा सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष (Working President) बनाया गया। इसके साथ ही देवेंद्र निषाद और आलोक प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा चौधरी वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता नियुक्त किया गया। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हुई।

यह बदलाव 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने, सामाजिक संतुलन बनाने और समाजवादी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन में अपनी सौदेबाजी की स्थिति मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस लंबे समय से उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक कमजोरी और सीमित चुनावी उपस्थिति से जूझ रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में INDIA गठबंधन के तहत कुछ सीटें जीतने के बावजूद विधानसभा स्तर पर पार्टी की स्थिति कमजोर रही है। ऐसे में आलाकमान ने नई टीम के जरिए बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने, विभिन्न समुदायों तक पहुंच बढ़ाने और 2027 की तैयारी को धार देने का प्रयास किया है।नई टीम का सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलननई नियुक्तियों में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साफ नजर आता है। आराधना मिश्रा 'मोना' पूर्वी उत्तर प्रदेश (प्रतापगढ़) की ब्राह्मण चेहरा हैं, जबकि इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम चेहरा हैं। देवेंद्र निषाद ओबीसी (निषाद समुदाय) से आते हैं और आलोक प्रसाद दलित प्रतिनिधित्व देते हैं। राज्य प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम भी दलित नेता हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है। अजय राय (भूमिहार पृष्ठभूमि) के स्थान पर मोना को लाने से ब्राह्मण मतदाताओं को संकेत देने का प्रयास है, जबकि मसूद की नियुक्ति पश्चिमी यूपी में मुस्लिम मतदाताओं और संगठनात्मक विस्तार पर फोकस दर्शाती है।

आराधना मिश्रा 'मोना' रामपुर खास (प्रतापगढ़) से तीन बार विधायक हैं। उन्होंने 2014 के उपचुनाव में पहली बार जीत हासिल की थी और 2017 व 2022 में सीट बरकरार रखी। वे 2019 से कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता रही हैं। वे राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की पुत्री हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के करीब मानी जाती हैं। प्रियंका

गांधी की 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' अभियान में भी उनकी भूमिका रही है।इमरान मसूद सहारनपुर से लोकसभा सांसद हैं। वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। उनका परिवार राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रहा है–उनके रिश्तेदार राशिद मसूद कई बार सांसद रहे। मसूद पहले कांग्रेस, सपा और बसपा से जुड़े रहे और 2023 में कांग्रेस में लौटे। वे आक्रामक और बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति को पश्चिमी यूपी में पार्टी की पहुंच बढ़ाने और मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।इमरान मसूद और मोना के बयान तथा जिम्मेदारियां इमरान मसूद ने अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे पार्टी नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष अजय राय के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राय ने पार्टी के लिए संघर्ष किया और मजबूत संगठन खड़ा किया, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी का है। मसूद ने संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर काम करने और जन-जन तक कांग्रेस की विचारधारा पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे शरीर, मन और संसाधनों से संगठन की मजबूती में जुटेंगे।

मोना ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि शीर्ष नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगी। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं के सम्मान को प्राथमिकता देने और जिला-ब्लॉक इकाइयों में बेहतर समन्वय स्थापित करने का संकल्प लिया। 11 अक्टूबर 2026 को लखनऊ के नेहरू भवन में औपचारिक पदभार ग्रहण समारोह हुआ, जहां राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में मोना ने कमान संभाली और अजय राय ने औपचारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी।सपा गठबंधन और सीट शेयरिंग पर संकेतमसूद की नियुक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू सपा के साथ संबंधों से जुड़ा है। मसूद पहले गठबंधन में कांग्रेस को 'बड़े भाई' के रवैये का शिकार बताते रहे हैं और अधिक सीटें मांगने की बात करते रहे। नियुक्ति के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस भिखारी नहीं है और सम्मानजनक सीटों पर लड़ना चाहती है। कुछ बयानों में उन्होंने 150 से अधिक सीटों की बात भी कही, हालांकि बाद में गठबंधन को मजबूत करने और INDIA ब्लॉक को ताकतवर बनाने पर जोर दिया। कांग्रेस की यह रणनीति सपा के साथ सौदेबाजी में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है, जबकि मोना की नियुक्ति को सपा के साथ बेहतर समीकरण रखने का संकेत भी माना गया है।

चुनौतियां

गुटबाजी और आंतरिक विवादनई टीम के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 11 अक्टूबर को पदभार ग्रहण के दौरान प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसमें जूते फेंके जाने और नारेबाजी की खबरें आईं। यह विवाद अजय राय के समर्थकों और अन्य समूहों के बीच माना गया। मसूद ने इसे कार्यकर्ताओं की गलती बताते हुए टाल दिया और राय के योगदान को स्वीकार किया, लेकिन यह घटना गुटबाजी और आंतरिक असंतोष को उजागर करती है। विश्लेषकों का कहना है कि केवल नेतृत्व बदलने से गुटबाजी खत्म नहीं होती, जब तक कि मूल मतभेदों का समाधान न हो। कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत संगठन खड़ा करने, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और 2027 तक जमीनी तैयारी पूरी करने की जरूरत है।

भविष्य की रणनीति और संभावनाएं

कांग्रेस 2027 के चुनावों को लक्ष्य बनाकर संगठन विस्तार, सामाजिक गठबंधन और गठबंधन सहयोगी के साथ तालमेल पर ध्यान दे रही है। नई टीम से उम्मीद है कि वह पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों में पार्टी की उपस्थिति बढ़ाएगी। मोना संगठनात्मक पुनरुद्धार की कमान संभालेंगी, जबकि मसूद पश्चिमी यूपी और अल्पसंख्यक मतदाताओं पर फोकस करेंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्षों के जरिए ओबीसी और दलितों तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास जारी रहेगा।हालांकि, सफलता का निर्धारण जमीनी काम, गुटबाजी पर काबू पाने और सपा के साथ सीट बंटवारे के सफल सौदे पर निर्भर करेगा। कांग्रेस लंबे समय से यूपी में हाशिए पर रही है और भाजपा तथा सपा के बीच की मुख्य लड़ाई में सीमित भूमिका निभा रही है। नई नियुक्तियों को पार्टी की चुनावी तैयारियों को गति देने का प्रयास माना जा रहा है, लेकिन संगठनात्मक अनुशासन और एकता सुनिश्चित करना नई टीम की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।यह फेरबदल कांग्रेस की 2027 रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आने वाले महीनों में संगठन के विस्तार, अभियानों और गठबंधन वार्ताओं पर नजर रहेगी।

इसलिए हटाए गए अजय राय



पार्टी नेताओं का कहना है, कि अजय राय की पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के साथ समन्वय ठीक नहीं था। अजय राय की नजर में राजेंद्र गौतम पार्टी की कमजोर जमीनी पकड़ को समझने के तैयार नहीं थे. जिसके चलते दोनों के बीच दूरी बढ़ गई थी और अजय राय ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बता दिया था कि राजेंद्र गौतम के रहते अब वह प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालना नहीं चाहते। इसकी के बाद पार्टी नेतृत्व ने उनके स्थान पर आराधना मिश्रा को यूपी में बड़ा दायित्व सौंपने का फैसला कर लिया, जबकि दूसरा कारण यूपी में नए चुनावी समीकरण की जरूरत को बताया जा रहा है। अजय राय की पहचान पूर्वांचल के एक मजबूत नेता के रूप में रही है और वह 2023 से प्रदेश अध्यक्ष थे। अब आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व वाली प्रदेश टीम बनाना चाहती है। इस योजना के तहत ही जून में पार्टी के नए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की नियुक्ति के बाद अब संगठन में बदलाव किया गया है। अब विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व बदलकर कांग्रेस ने चुनावी तैयारी के लिए नई टीम और नई कार्यशैली का संकेत दिया है। इसके साथ ही अब पार्टी संगठन को सामाजिक विस्तार देने की रणनीति शुरू की गई। इसके चलते ही अजय राय की जगह आराधना मिश्रा और उनके साथ इमरान मसूद, देवेंद्र निषाद तथा आलोक प्रसाद को महत्वपूर्ण दायित्व देकर यह बताता गया है कि कांग्रेस केवल अध्यक्ष बदलने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि प्रदेश संगठन की सामाजिक संरचना को भी बदल रही है। इसका लक्ष्य अलग-अलग सामाजिक समूहों में पार्टी की राजनीतिक पहुंच बढ़ाना है।



पंजाब विधानसभा चुनाव 2027

सत्ता में वापसी के जतन करने में जुटी आम आदमी पार्टी व मान सरकार

पवन

चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। 2022 में भारी बहुमत से सत्ता में आई आम आदमी पार्टी अब दूसरी पारी की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार और पार्टी दोनों ही स्तर पर संगठनात्मक, प्रचार और शासन संबंधी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सितंबर 2026 में लुधियाना से शुरू हुए घर-घर अभियान, चुनावी पैम्फलेट जारी करना, बूथ कमेटियों को सक्रिय करना और सरकार के 4.5 साल के काम को जनता तक पहुंचाना इन तैयारियों का मुख्य हिस्सा है। विपक्षी दल नशे, कानून-व्यवस्था और वित्तीय दबाव जैसे मुद्दों पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने विकास मॉडल और कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा जता रही है।

चुनावी अभियान की शुरुआत

19 सितंबर 2026 को लुधियाना के पखोवाल रोड इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आप का चुनावी पैम्फलेट जारी किया। इसे मान सरकार दे मुनाफे या मान दा मुनाफा नाम से प्रचारित किया जा रहा है। मान ने साफ कहा कि पार्टी नई वायदे नहीं करेगी, बल्कि पिछले साढ़े चार साल के काम का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेगी। उन्होंने कहा, डॉक्टर बदलते रहने से बीमारी बढ़ती है। हमने अनुभव हासिल कर लिया है। पैम्फलेट में 10 बिंदुओं में यह चेतावनी दी गई कि कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल या भाजपा के सत्ता में आने से मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लीनिक, महिलाओं को आर्थिक मदद, तीर्थ यात्रा और 10 लाख तक का मुफ्त इलाज जैसे लाभ रुक सकते हैं।

20 सितंबर से राज्यव्यापी घर-घर अभियान शुरू हुआ। मान ने अपनी विधानसभा धूरी से इसकी शुरुआत की। पार्टी के मुताबिक, 25,332 पोलिंग बूथों पर 2 लाख 68 हजार से अधिक बूथ कमेटी सदस्य सक्रिय हैं। ये सदस्य हर परिवार तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं का ब्योरा दे रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। अभियान में सदस्यता ड्राइव भी शामिल है। मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं ने जिला स्तर पर बैठकें कीं और बूथ इनचार्ज को तैयार किया। आप का दावा है कि 2022 की तरह नहीं, अब काम का हिसाब मांगेंगे।

पार्टी की संगठनात्मक तैयारी

आप ने 2022 के विपरीत भगवंत मान को अभियान का केंद्र बनाया है। अरविंद केजरीवाल की भूमिका 2022 जितनी प्रमुख नहीं है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति में मान को स्थायी सदस्य बनाया गया, साथ ही हरपाल सिंह चीमा और अन्य को शामिल किया गया। मनीष सिसोदिया पंजाब के मामलों में सक्रिय हैं और बूथ स्तर की बैठकें कर रहे हैं।

बूथ कमेटियों को मजबूत करना, युवा, महिला और अनुसूचित जाति विंग को सक्रिय करना तथा उम्मीदवारों को जल्दी फाइनल करने की योजना है। पहले के स्थानीय निकाय चुनावों में आप को अच्छी सफलता मिली थी (958 वार्ड), जिसे पार्टी आत्मविश्वास का स्रोत बताती है। हालिया SCORE Intelligence सर्वे (सितंबर-अक्टूबर 2026, 28,347 लोगों पर) में आप को 69 से 82 सीटें मिलने का अनुमान है। बहुमत के लिए 59 सीटें जरूरी हैं। मान मुख्यमंत्री पद की पसंद में 39 प्रतिशत से अधिक के साथ आगे हैं।

चुनौतियां और विपक्ष का हमला

तैयारियां चल रही हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। भाजपा ने संगरूर में बैठक कर नशे, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर आरोप पत्र तैयार किया। कांग्रेस सचिन पायलट और परगट सिंह जैसे नेताओं के जरिए जमीनी फीडबैक ले रही है। शिरोमणि अकाली दल भी सक्रिय है। कुछ पूर्व आप नेताओं के भाजपा में जाने की घटनाएं (राघव चड्ढा आदि) पार्टी के लिए झटका रही थीं। वित्तीय दबाव, बिजली की कमी और कुछ वायदों के देरी से लागू होने पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार दावा करती है कि नशा और अपराध पर काम हो रहा है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जुटा है।

आगे का रास्ता

शासन का रिपोर्ट कार्ड, बूथ स्तर की पहुंच, महिलाओं और किसानों को लक्षित योजनाएं और मान की लोकप्रियता। पार्टी का दावा है कि 2027 में 2022 से बड़ा जनादेश मिलेगा। विपक्ष इसे फ्रीबीज की राजनीति कहकर खारिज कर रहा है और विकास, कानून-व्यवस्था तथा आर्थिक स्थिरता पर जोर दे रहा है। अक्टूबर 2026 तक घर-घर अभियान चल रहा है। उम्मीदवार चयन, और अधिक योजनाएं तथा विपक्ष की प्रतिक्रिया आने वाले महीनों में चुनावी माहौल को तय करेंगी।

सरकार की प्रमुख योजनाएं व दावे

- **300 यूनिट मुफ्त बिजली :** जुलाई 2022 से लागू यह योजना अब भी जारी है। सरकार का दावा है कि करीब 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य बिजली बिल मिल रहा है। मान ने बार-बार कहा कि यह राहत जारी रहेगी। हालांकि, बिजली की मांग 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ने और वित्तीय बोझ पर विपक्ष सवाल उठा रहा है।
- **आम आदमी क्लीनिक :** अक्टूबर 2026 में 154 नए क्लीनिक जोड़कर कुल संख्या 1,244 से अधिक हो गई। इनमें 107 दवाएं और 47 जांच मुफ्त हैं। करोड़ों ओपीडी विजिट का दावा किया गया है।
- **मुख्यमंत्री सेहत योजना :** 54 लाख से अधिक परिवारों को 10 लाख तक का कैशलेस इलाज का कवरेज। लाखों मरीज लाभान्वित बताए गए।
- **मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना :** जुलाई 2026 से शुरू हुई यह योजना महिलाओं को मासिक आर्थिक मदद देती है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये। बजट में 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान। अक्टूबर तक हजारों करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर हो चुके हैं। 97 प्रतिशत महिलाओं को कवर करने का लक्ष्य है।
- **किसान संबंधी काम :** नहर का पानी पहले 20 लाख एकड़ से बढ़ाकर 60 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में पहुंचा। किसानों को दिन का बिजली। धान की खरीद और भुगतान पर जोर।
- **रोजगार और शिक्षा :** करीब 70,000 सरकारी नौकरियों का दावा (बिना रिश्वत)। स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, NEET-JEE में सरकारी स्कूलों के छात्रों की संख्या बढ़ने का दावा। सड़क सुरक्षा बल से 2,700 जानें बचाने, टोल प्लाजा बंद करने जैसे अतिरिक्त काम भी गिनाए जा रहे हैं।

आकाश आनंद की बसपा में वापसी मायावती ने बनाया राष्ट्रीय संयोजक



पवन गौतम

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की तीसरी बार वापसी कराई है। पार्टी सुप्रीमो ने आकाश आनंद को फिर से पार्टी में शामिल करते हुए उन्हें राष्ट्रीय संयोजक का पद सौंप दिया है। यह फैसला आकाश आनंद के सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद लिया गया । दरअसल, 3 सितंबर 2026 को मायावती ने आकाश को राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। इसके बाद 10 सितंबर को उन्हें पार्टी से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। मायावती ने आरोप लगाया था कि आकाश परिवार और निजी हितों को पार्टी से ऊपर रख रहे हैं। खासकर उनके ससुर पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ के मुद्दे पर उनका रुख पार्टी के हित में नहीं रहा।मायावती ने सिद्धार्थ को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी थी। इसके करीब तीन हफ्ते बाद 2 अक्टूबर को आकाश आनंद ने एक्स पर भावुक अपील की। उन्होंने मायावती को बुआ माँ और राजनीतिक गुरु कहते हुए लिखा कि बसपा उनका परिवार है और वे किसी अन्य दल में नहीं जाएंगे। उन्होंने गलतियों के लिए माफी मांगी और पार्टी में फिर मौका देने की गुजारिश की। मायावती ने काफी विचार-विमर्श के बाद उनकी माफी स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि पार्टी और मूवमेंट के हित में आकाश को दोबारा काम करने का मौका दिया जा रहा है। परिवार के अन्य सदस्यों, जिनमें उनके पिता और छोटे भाई ईशान आनंद शामिल हैं, ने भी सहमति जताई। यह आकाश की तीसरी-चौथी वापसी है। इससे पहले मई 2024 और मार्च 2025 में भी उन्हें निकाला गया था और बाद में वापस लिया गया था।

मायावती ने स्पष्ट किया कि शादी से पहले आकाश ठीक काम कर रहे थे, लेकिन बाद में ससुर के प्रभाव में गलतियां हुईं। अब सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास के बाद आकाश में परिपक्वता दिख रही है। हाल ही में 18 अक्टूबर को उन्होंने आकाश की तारीफ की और उन्हें चुनावी प्रचार की कमान सौंपी। आकाश 28 अक्टूबर को बुलंदशहर, 2 नवंबर को सहारनपुर, 20 नवंबर को अयोध्या, 22 नवंबर को आगरा और 29 नवंबर को कानपुर में जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा पंजाब और हरिद्वार में भी कार्यक्रम तय हैं। मायावती ने साफ कर दिया कि अशोक सिद्धार्थ की वापसी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला बसपा को एकजुट करने और युवा चेहरे को आगे लाने की कोशिश माना जा रहा है।



धार्मिक वजहों से वंदे मातरम ना गाने पर आपराधिक कार्रवाई ना हो : कोर्ट

टीएनसी नेटवर्क

नई दिल्ली। वंदे मातरम के सभी अंतरे न गाने पर सज़ा के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक कारणों से कोई व्यक्ति गीत नहीं गाता है, तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के जाने-माने संगीतकार टीएम कृष्णा की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। टीएम कृष्णा ने 1971 के प्रीवेंशन ऑफ़ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट में 2026 में किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इस संशोधन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ना गाने को भी दंड के दायरे में लाया गया है।

टीएम कृष्णा की याचिका में गृह मंत्रालय के उन निर्देशों को भी चुनौती दी गई है, जिनमें आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी छह अंतरे गाने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपने 1986 के एक फ़ैसले की याद



दिलाई। इस फ़ैसले में अदालत ने राष्ट्रगान न गाने के व्यक्ति के अधिकार को मान्यता दी थी। इस याचिका की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने की।

बेंच ने कहा कि यह तय करना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि राष्ट्रीय गीत क्या है। हालांकि, कोर्ट यह देखेगा कि बिजो एमैनुएल मामले की तरह, धार्मिक कारणों से गीत न गाने वाले व्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा होती है या नहीं। बेंच ने कहा कि उसे उम्मीद है कि बिजो एमैनुएल में दिए गए फ़ैसले का पालन किया जाएगा और धार्मिक कारणों से गीत नहीं गाने वाले व्यक्ति पर आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और टीएम कृष्णा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील डॉ एस मुरलीधरन के बीच तल्ख़ बहस देखने को मिली।

क़ानून नक्सलियों के हिसाब से नहीं बन सकता

याचिका पर सुनवाई के दौरान मुरलीधरन ने कहा कि संशोधन में राष्ट्रीय गीत की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है. उनके मुताबिक़, यह अस्पष्टता क़ानून के दुरुपयोग की वजह बन सकती है. जस्टिस बागची ने कहा कि परंपरागत रूप से राष्ट्रीय गीत को वंदे

मातरम माना जाता रहा है। इस पर मुरलीधर ने कहा, दो अंतरों के साथ। मुरलीधर ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय का ऑफिस मेमोरेंडम गैज़ेट में प्रकाशित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑफिस मेमोरेंडम के ज़रिए वंदे मातरम को लेकर चली आ रही व्यवस्था को अचानक बदल दिया। उनके मुताबिक़, बिना किसी राष्ट्रीय सहमति के जल्दबाज़ी में ये संशोधन पारित किया गया।

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, क़ानून बनाना नक्सलियों के विचार के मुताबिक़ नहीं हो सकता। मुरलीधर ने इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई और सॉलिसिटर जनरल से इसे वापस लेने की मांग की। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनका इशारा उन लोगों की तरफ़ था जो क़ानून बनाने की प्रक्रिया का सम्मान नहीं करते। मुरलीधर ने दोबारा आपत्ति जताई. इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने टिप्पणी वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने जो कहा, उसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है। मैंने कहा था कि यही संवैधानिक तरीका है, न कि वह तरीका जो नक्सली चाहता है। हालांकि, पीठ ने कहा कि वह इन टिप्पणियों का संज्ञान नहीं लेगी। सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से याचिका पर नोटिस जारी नहीं करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि इससे मामला सनसनीख़ेज़ बन जाएगा। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि पीठ नोटिस जारी करने की इच्छुक नहीं है। हालांकि, अदालत ने कहा कि उसे उम्मीद है कि बिजो एमैनुएल मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय क़ानून इस मामले पर भी लागू होगा। जस्टिस बागची ने कहा कि राष्ट्रीय गीत क्या है, इस पर विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजो एमैनुएल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो क़ानून तय किया था, उसे अब तक चुनौती नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार यह तय कर सकती है कि राष्ट्रीय गीत का कौन सा संस्करण इस्तेमाल होगा, चाहे उसमें दो अंतरे हों या चार। लेकिन जस्टिस बागची ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत अपने अधिकारों के उल्लंघन की बात करता है या अंतरात्मा के आधार पर आपत्ति जताता है, तो उसके खिलाफ़ आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरात्मा के आधार पर किसी व्यक्ति को एक या सभी अंतरे न गाने का अधिकार है और सरकार को इसके लिए उस पर आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

बिजो एमैनुएल फ़ैसले में क्या है

प्रीवेंशन ऑफ़ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत राष्ट्रगान का अपमान करना दंडनीय अपराध बनाया गया था। लेकिन इस क़ानून में राष्ट्रगान के गायन में बाधा डालना स्पष्ट रूप से अपराध था। राष्ट्रगीत के लिए ऐसी कोई समानांतर व्यवस्था नहीं थी। बिजो इमैनुएल बनाम केरल सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखा था। अदालत ने माना था कि अगर किसी व्यक्ति का आचरण सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा नहीं डालता और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान नहीं करता, तो उसके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एस. मुरलीधर के बीच भी तीखी बहस हुई। मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता इतनी संकीर्ण नहीं हो सकती। एक अन्य टिप्पणी में उन्होंने कानून बनाने की प्रक्रिया के संदर्भ में 'नक्सलियों की सोच' का जिक्र किया। मुरलीधर ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की और कहा कि ऐसी टिप्पणी कानून अधिकारी के पद के अनुरूप नहीं है।



पूरा मामला क्या है

- याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है। इसमें 1971 के अधिनियम की धारा 3 को चुनौती दी गई है। इस धारा में प्रीवेंशन ऑफ़ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत बदलाव किया गया है।
- याचिका में गृह मंत्रालय के 28 जनवरी 2026 और 9 जुलाई 2026 के आदेशों को भी चुनौती दी गई है। इस बदलाव के मुताबिक़, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत गाने से किसी को रोकता है या इसके गायन में शामिल सभा में बाधा डालता है, तो उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- कृष्णा का कहना है, कि गृह मंत्रालय के इन आदेशों और बदले हुए दंड प्रावधान को साथ पढ़ने पर ये सिर्फ़ राष्ट्रीय कायक्रमों के प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं रहते।
- याचिका के मुताबिक़, 28 जनवरी और 9 जुलाई के आदेशों में वंदे मातरम के सभी छह अंतरों वाले पूरे संस्करण को आधिकारिक संस्करण बताया गया है। इनमें तय सरकारी, औपचारिक और सांस्कृतिक कार्य में में इसके सामूहिक गायन का प्रावधान किया गया है. जिन कार्य में में वंदे मातरम और जन गण मन दोनों गाए या बजाए जाते हैं, उनमें वंदे मातरम को राष्ट्रगान से पहले रखा गया है।



यूपी की सियासत में ओवैसी का बढ़ता दखल, नजर विधानसभा चुनाव पर

टीएनसी ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दखल तेजी से बढ़ रहा है। 2027 के विधानसभा चुनावों से करीब छह महीने पहले ओवैसी पश्चिमी और पूर्वी यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में लगातार रैलियां कर रहे हैं। उनकी रणनीति स्पष्ट है– मुसलमानों को वोट बैंक की भूमिका से निकालकर स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व देने की अपील, सपा-कांग्रेस पर हिससेदारी न देने का आरोप और भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन की पेशकश।

ओवैसी की हालिया रैलियों की श्रृंखला में कानपुर, श्रावस्ती, आजमगढ़ और रामपुर (टांडा) प्रमुख हैं। ये सभाएं एआईएमआईएम के यूपी विस्तार की कोशिश का हिस्सा हैं, जहां पार्टी 2017 और 2022 में खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन बिहार में सफलता के बाद आत्मविश्वास बढ़ा है।

कानपुर से अभियान की शुरुआत

20 सितंबर 2026 को ओवैसी ने कानपुर के बाबूपुरवा ईदगाह मैदान से यूपी अभियान की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुजफ्फरनगर दंगों (2013) का हवाला देते हुए हमला बोला, जिसमें उनके मुताबिक करीब 50,000 लोग विस्थापित हुए थे। ओवैसी ने कहा कि लोग जानते हैं कि उनके शासन में कितने दंगे हुए। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का भविष्य जल्द उनके हाथों में होगा।उन्होंने भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने का संकल्प लिया और 2 अक्टूबर तक गठबंधन की घोषणा का डेडलाइन दिया। ओवैसी ने कहा, ÷हम भी नहीं चाहते कि भाजपा यूपी में तीसरी बार सरकार बनाए। अगर आप रोकना चाहते हैं तो एआईएमआईएम से हाथ मिलाएं। उन्होंने कानपुर विकास प्राधिकरण की कब्रिस्तान पर बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि ÷जीवितों को जीने नहीं दे रहे, मृत को विश्राम भी नहीं।÷ शिक्षा, स्वास्थ्य और वक्फ जैसे मुद्दे भी उठाए।

आजमगढ़ में यादवों की गुलामी छोड़ने की अपील

11-13 अक्टूबर के आसपास आजमगढ़ (सपा का पारंपरिक गढ़) में रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने मुसलमानों से लाल टोपी वाले यादव कबीले की गुलामी खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों से मुसलमान मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सेवा करते आए, लेकिन उन्हें प्रमुख नेता बनने का मौका नहीं मिला। समुदाय को सरकार बनाने का साधन बनाया गया, लेकिन नेतृत्व में हिस्सेदारी नहीं दी।

ओवैसी ने कहा, अब हमें गांधी या नेहरू की जरूरत नहीं, अपने नेताओं की जरूरत है। उन्होंने आजमगढ़ को उपेक्षित बताया और कहा कि मुस्लिम युवाओं में नई राजनीतिक चेतना पैदा हो रही है। सपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे चुनाव में मुस्लिम वोट मांगते हैं, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देते। बीएसपी और भाजपा सरकारों पर भी निशाना साधा। सूत्रों के मुताबिक एआईएमआईएम चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और पल्लवी पटेल की अपना दल (कमेरावादी) जैसी छोटी पार्टियों के साथ वैकल्पिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है।

रामपुर की टांडा रैली : नेहरू, गांधी या यादव नहीं, अपने युवा नेता

18 अक्टूबर 2026 को रामपुर के टांडा बाटली स्थित मंसब अली स्टेडियम में विशाल जनसभा हुई। शाम 5

बजे से रात 10 बजे तक चली इस रैली में ओवैसी ने साफ कहा, अब हम किसी नेहरू, गांधी या यादव को अपना नेता नहीं बनाएंगे। हमारी सफों में ये नौजवान बेटे और बेटियां खड़ी होंगी। उन्होंने मुस्लिम युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनमें उतनी काबिलियत है जितनी दूसरी कौमों में, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। एआईएमआईएम आपको प्लेटफॉर्म दे रही है।

आओ बेटों और बेटियों, नेता बनो। ओवैसी ने अब्दुल दरी बिछाएगा और दूसरे आकर बैठ जाएंगे वाली व्यवस्था को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपनी कतारों से नेता पैदा करने होंगे। अनुसूचित जाति और मुसलमानों के अधिकारों का मुद्दा उठाया। रामपुर में महिला साक्षरता दर 44 प्रतिशत और 70 प्रतिशत बच्चों के एनीमिया से पीड़ित होने का दावा किया, इसे सरकार की विफलता बताया। आजम खान के प्रति नरम रुख अपनाया और उनकी तकलीफें दूर होने की दुआ की। अखिलेश पर राज्यसभा सीट बंटवारे और अन्य मुद्दों पर घेरा। भाजपा-आरएसएस पर भी हमला बोला।

भविष्य की योजना

श्रावस्ती (लगभग 27 सितंबर) सहित पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कई सभाएं हुईं। आगे कैराना (25 अक्टूबर) और मेरठ (14 नवंबर) में रैलियां निर्धारित हैं। एआईएमआईएम पूर्वांचल की करीब 36 सीटों पर फोकस कर रही है, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक हो सकते हैं। पार्टी जून 2026 में बहराइच की मटेरा सीट से प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। ओवैसी बार-बार बिहार का उदाहरण देते हैं, जहां 2020 और 2025 में पार्टी ने 5 सीटें जीतीं (सीमांचल क्षेत्र में)। वे कहते हैं कि अकेले कोई भी भाजपा को नहीं रोक सकता, इसलिए समान विचारधारा वाली पार्टियों से बातचीत जारी है। सपा ने गठबंधन प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि 2024 लोकसभा में भाजपा को हराने वाला गठबंधन 2027 में भी जारी रहेगा।

राजनीतिक प्रभाव और विश्लेषण

एआईएमआईएम की ये रैलियां मुस्लिम वोटों के विभाजन की संभावना पैदा करती हैं, जो सपा को नुकसान पहुंचा सकती है। पश्चिमी यूपी (रामपुर, कैराना, मेरठ) और पूर्वी यूपी (आजमगढ़, श्रावस्ती) दोनों जगह सक्रियता है। पार्टी 200 सीटों तक लड़ने की बात कर रही है, लेकिन फोकस मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर है। भाजपा अक्सर एआईएमआईएम को बी टीम कहती है, जबकि सपा इसे वोट काटने वाला मानती है। ओवैसी की अपील युवा मुसलमानों को अपनी पहचान और नेतृत्व की बात करती है। अगर पार्टी संगठनात्मक रूप से मजबूत होती है और छोटी पार्टियों से गठबंधन बनाती है, तो 2027 में कुछ सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अतीत का प्रदर्शन सीमित रहा है। यूपी की राजनीति में मुस्लिम नेतृत्व का सवाल पुराना है–आजम खान जैसे नेता रहे, लेकिन व्यापक हिस्सेदारी की मांग बढ़ रही है।

ओवैसी की रैलियां न सिर्फ चुनावी तैयारी हैं, बल्कि मुस्लिम समाज में स्वतंत्र आवाज की दावेदारी भी हैं। 2027 के चुनाव नजदीक आने के साथ उनका दखल और बढ़ने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एआईएमआईएम का प्रभाव मुख्यतः उन सीटों पर पड़ेगा जहां मुस्लिम मतदाता 20-30 प्रतिशत से अधिक हैं।

यूपी में एआईएमआईएम का इतिहास और चुनौतियां

एआईएमआईएम 2017 में 38 सीटों पर लड़ी और कोई सीट नहीं जीती (वोट शेयर करीब 0.24)। 2022 में करीब 95-97 सीटों पर लड़ी, फिर शून्य जीत (वोट शेयर करीब 0.49 , करीब 3.4 लाख वोट)। तेलंगाना में मजबूत है (7 सीटें), महाराष्ट्र और बिहार में भी मौजूदगी है। हैदराबाद लोकसभा सीट लंबे समय से उसके पास है। यूपी में संगठनात्मक विस्तार की कोशिश जारी है–नगर निगम चुनावों में मेरठ आदि जगहों पर कुछ सफलता मिली। ओवैसी का तर्क है कि मुसलमानों को राजनीतिक एजेंसी चाहिए। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भेदभाव जैसे मुद्दे उठाते हैं। भाजपा सरकार पर मस्जिद तोड़ने, वक्फ और एसआईआर जैसे मुद्दों पर हमला बोलते हैं। साथ ही सपा पर वोट बैंक राजनीति का आरोप।



संसदीय परंपराओं की विरासत को संजोने की कला रखते हैं प्रदीप दुबे



श्रीधर अग्निहोत्री

संसदीय गरिमा के सजग प्रहरी : प्रदीप कुमार दुबे

लोकतांत्रिक परंपराओं के संवाहक और संसदीय व्यवस्था के मर्मज्ञ

लोकतंत्र केवल चुनावों, जनप्रतिनिधियों और सदन की कार्यवाही का नाम नहीं है। लोकतंत्र की आत्मा उन संस्थागत परंपराओं में बसती है, जिन्हें पीढ़ी-दर-पीढ़ी अनुभव, अध्ययन और अनुशासन के साथ संजोया जाता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की इस यात्रा में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जो स्वयं अग्रिम पंक्ति में दिखाई भले न दें, लेकिन उनकी विद्वता, दृष्टि और कर्मठता पूरी व्यवस्था को दिशा देती रहती है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ऐसा ही एक व्यक्तित्व हैं–विधि, विद्वता, प्रशासनिक दक्षता और विनम्रता का अनुपम संगम।

15 अप्रैल 1957 को उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में जन्मे प्रदीप कुमार दुबे का जीवन अध्ययन, संघर्ष, अनुशासन और सतत कर्मशीलता की ऐसी यात्रा है, जिसमें ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यवहार और संस्थागत दायित्वों में भी निरंतर अभिव्यक्त होता रहा। आरंभ से ही विधि, शासन और सार्वजनिक जीवन के प्रति उनकी गहरी रुचि रही। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (एलएलबी) की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा के इसी दौर में उनके भीतर यह विश्वास दृढ़ हुआ कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल सत्ता के परिवर्तन में नहीं, बल्कि संविधान और संस्थाओं की मर्यादाओं के संरक्षण में निहित होती है।

वर्ष 1985 में अधिवक्ता के रूप में उन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। विधि के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा और अध्ययनशीलता ने शीघ्र ही अपनी पहचान बनाई और अगस्त 1987 में उनका चयन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में हुआ। न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में लखनऊ और प्रयागराज में कार्य करते हुए उन्हें न्याय व्यवस्था की जमीनी वास्तविकताओं को निकट से देखने और समझने का अवसर मिला। न्यायालय की गंभीरता, विधि की सूक्ष्मता और निर्णय की निष्पक्षता ने उनके व्यक्तित्व को और अधिक परिपक्व बनाया। न्यायिक दायित्वों के दौरान उनकी विधिक समझ, संतुलित दृष्टि और प्रशासनिक क्षमता ने उन्हें एक कुशल अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित किया।

उनके जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का विधि परामर्शी तथा अतिरिक्त विधि परामर्शी नियुक्त किया गया। लगभग बारह वर्षों तक इस दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने संवैधानिक और विधिक विषयों पर गहराई से कार्य किया। राज्यपाल सचिवालय में रहते हुए शासन, संविधान और विधायिका के बीच के सूक्ष्म संबंधों को समझने का उन्हें व्यापक अवसर मिला। यही अनुभव आगे चलकर उनके संसदीय जीवन की मजबूत आधारशिला बना।

वर्ष 2007 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप

में दायित्व निभाने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य का दायित्व सौंपा गया। यह दायित्व उनके प्रशासनिक अनुभव और विधिक विद्वता के लिए स्वाभाविक विस्तार था। सरकार और विधानमंडल के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री सचिवालय तथा राज्यपाल के विधि परामर्शी के अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहन भी उन्होंने समान दक्षता और गंभीरता के साथ किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा से उनका संबंध केवल एक प्रशासनिक पद से जुड़ा संबंध नहीं है। यह उस व्यापक प्रतिबद्धता का परिचायक है, जिसके केंद्र में संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और उसकी परंपराओं का संरक्षण है। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा के रूप में उन्होंने सदन की कार्यवाही, संसदीय प्रक्रियाओं और विधायी परंपराओं को समय की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक आधुनिक, सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया। उनके नेतृत्व में विधान सभा सचिवालय ने तकनीकी आधुनिकीकरण, अभिलेखों के संरक्षण, संसदीय शोध और संस्थागत ज्ञान के संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए।

प्रदीप दुबे की विशिष्टता यह है कि वे केवल एक कुशल प्रशासक नहीं, बल्कि संसदीय लोकतंत्र के गंभीर अध्येता भी हैं। उनके लिए संसद और विधानमंडल केवल नियमों और प्रक्रियाओं से संचालित होने वाली संस्थाएँ नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना के जीवंत केंद्र हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनकी सक्रिय भागीदारी ने इस दृष्टि को और व्यापक आयाम दिया है।

कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन (सीपीए) तथा सोसायटी ऑफ क्लर्क्स-एट-द-टेबल (SOCATT) जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर उनकी उपस्थिति ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय संसदीय विमर्श से जोड़ा। लंदन, कोलंबो, जोहान्सबर्ग, ढाका, हैलीफैक्स, अक्करा और सिडनी जैसे महत्वपूर्ण संसदीय मंचों पर उन्होंने शोध-पत्र प्रस्तुत किए। उनके अध्ययन के विषय केवल अकादमिक जिज्ञासा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बदलते लोकतांत्रिक परिवेश की वास्तविक चुनौतियों से जुड़े रहे हैं। डिजिटल लोकतंत्र, ई-पार्लियामेंट, विधायिकाओं की कार्य अवधि में कमी, जनप्रतिनिधियों की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार जैसे विषयों पर उनके विचार संसदीय व्यवस्था के भविष्य को लेकर उनकी दूरदर्शिता को रेखांकित करते हैं।

लेखन और संपादन के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के इतिहास, संसदीय परंपराओं और प्रदेश के राजनीतिक विकास से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों के संपादन के माध्यम से उन्होंने इतिहास के बिखरे हुए पन्नों को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया है। विधान सभा में विभिन्न मुख्यमंत्रियों, नेताओं और संवैधानिक विषयों



उत्तर प्रदेश विधान सभा लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का वह विशाल मंच है, जहाँ प्रदेश की जनता की आवाज शब्दों, विचारों और विधायी निर्णयों का रूप लेती है। यदि इस संस्था को लोकतंत्र का एक विराट मंदिर माना जाए, तो प्रदीप कुमार दुबे उन दक्ष शिल्पियों में हैं, जो उसकी परंपराओं, प्रक्रियाओं और संस्थागत गरिमा को भीतर से मजबूत करते हैं। उनका योगदान शायद हमेशा सुर्खियों में न हो, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था की निरंतरता में ऐसे योगदानों की अपनी विशिष्ट और स्थायी महत्ता होती है।

पर प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने उन दस्तावेजों और स्मृतियों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए लोकतांत्रिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। विधान पुस्तकालय की पत्रिका 'संसदीय दीपिका' के संपादन और लेखन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

उनके व्यक्तित्व की सबसे सुंदर विशेषताओं में अध्ययनशीलता के साथ विनम्रता का समावेश है। ऊँचे पद और व्यापक अनुभव के बावजूद सहजता उनके स्वभाव का हिस्सा है। वे मानते हैं कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है, जब वह संस्थाओं और समाज के काम आए। प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच भी अध्ययन और शोध के लिए समय निकालना उनकी इसी जिज्ञासु और सतत सीखने वाली प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तकनीक के तेजी से बदलते दौर में भी उनकी दृष्टि भविष्य की ओर रही है। ई-पार्लियामेंट और डिजिटल डेमोक्रेसी जैसे विषयों पर उनका जोर इस बात का संकेत है कि वे संसदीय संस्थाओं को केवल परंपराओं का संरक्षक नहीं, बल्कि समय के साथ कदम मिलाकर चलने वाला जीवंत लोकतांत्रिक मंच मानते हैं। उनके प्रयासों में परंपरा और आधुनिकता का संतुलित मेल दिखाई देता है—जहाँ पुरानी संसदीय मर्यादाएँ सुरक्षित रहें और नई तकनीक उन्हें अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जनोन्मुखी बनाए।

देश-विदेश की यात्राओं ने भी उनके अनुभव संसार को विस्तार दिया है। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका, घाना, मॉरीशस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड सहित अनेक देशों की यात्राओं के दौरान उन्होंने विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को निकट से देखा और समझा। इन अनुभवों को उन्होंने केवल व्यक्तिगत स्मृतियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनसे प्राप्त सीख को भारतीय और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की संसदीय व्यवस्था के लिए उपयोगी बनाने का प्रयास किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का वह विशाल मंच है, जहाँ प्रदेश की जनता की आवाज शब्दों, विचारों और विधायी निर्णयों का रूप लेती है। यदि इस संस्था को लोकतंत्र का एक विराट मंदिर माना जाए, तो प्रदीप कुमार दुबे उन दक्ष शिल्पियों में हैं, जो उसकी परंपराओं, प्रक्रियाओं और संस्थागत गरिमा को भीतर से मजबूत करते हैं। उनका योगदान शायद हमेशा सुर्खियों में न हो, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था की निरंतरता में ऐसे योगदानों की अपनी विशिष्ट और स्थायी महत्ता होती है।

उनका जीवन यह संदेश देता है कि किसी संस्था को मजबूत करने के लिए केवल अधिकार पर्याप्त नहीं होते; उसके लिए ज्ञान चाहिए, दृष्टि चाहिए, अनुभव चाहिए और सबसे बढ़कर संस्थाओं के प्रति निष्ठा चाहिए। श्री प्रदीप कुमार दुबे ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में इन सभी गुणों को अपने कर्म से प्रमाणित किया है।

आज जब लोकतांत्रिक संस्थाएँ तकनीकी परिवर्तन, बदलती जन अपेक्षाओं और नई सामाजिक चुनौतियों के दौर से गुजर रही हैं, तब श्री प्रदीप कुमार दुबे जैसे अनुभवी और दूरदर्शी व्यक्तित्वों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि संसदीय परंपराओं की रक्षा केवल नियमों की किताबों को सुरक्षित रखने का कार्य नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को जीवंत बनाए रखने का सतत दायित्व है।

विधि की गहराई, विद्वता की गरिमा, प्रशासन की दक्षता और व्यवहार की विनम्रता—इन सबका संतुलित समन्वय ही श्री प्रदीप कुमार दुबे के व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाता है। वे सचमुच संसदीय परंपराओं के सजग प्रहरी हैं और लोकतंत्र के उन मूक पथप्रदर्शकों में से एक हैं, जिनकी उपस्थिति संस्था को दिखाई कम देती है, पर महसूस हर स्तर पर होती है।

यूपी भाजपा में खलबली, कई मंत्री और विधायकों के टिकट पर कैंची चलाने की तैयारी

शबीह अहमद रिजवी



» पीएम के संसदीय क्षेत्र में भी मंत्री-विधायकों के कटेंगे टिकट!

» भाजपा के 105 विधायकों के व्यवहार से खफा है उनके क्षेत्र के लोग

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए देश में काकरोच जनता पार्टी और समूचा विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ऐसी सियासी गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सीनियर नेता आगामी विधानसभा चुनावों में किन-किन मंत्री तथा विधायकों के टिकट काटे जाएं? इसकी लिस्ट बनाने में जुटे हैं। जनता के बीच प्रदेश सरकार के मंत्री और भाजपा विधायकों की छवि कैसी है? यह जानने के लिए पार्टी द्वारा कराए गए एक सर्वे में भाजपा के मौजूदा 255 विधायकों में से करीब 105 के खिलाफ जनता की नाराजगी पायी गई है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों के लगातार चुनाव जीत रहे विधायक तथा मंत्रियों से भी वहां के लोग खफा हैं। सर्वे से मिले जनता के इस रुख को ध्यान में रखते हुए पार्टी के तमाम नेता बड़ी संख्या में विधायकों और सरकार के मंत्रियों के टिकट काटे जाने की बात कह रही हैं। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का कहना है कि अभी किसी विधायक या मंत्री के टिकट को काटे जाने का फैसला नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ जनता के मूड को जानने की कवायद की जा रही है। उनके इस गोलमोल कथन के बाद भी भाजपा में यह दावा किया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा 70-80 विधायकों के टिकट काट कर नए लोगों को चुनाव मैदान में उतारेगी। इसके अलावा बड़ी संख्या में विधायकों की सीट भी बदली जाएगी, ताकि लगातार चुनाव जीतने वाले विधायकों से नाराज लोगों को मनाया जा सके।

पीएम के संसदीय क्षेत्र में कटेंगे टिकट

फिलहाल इस तरह के इस तरह के आकलन पार्टी के मुख्यालय में अब हर दिन हो रहे है। भाजपा संगठन और संघ के सीनियर पदाधिकारी प्रदेश में पार्टी विधायकों की लोकप्रियता का पता लगाने के लिए विधायक का स्थानीय संगठन के साथ तालमेल, कार्यकर्ताओं में पकड़, जनता के बीच पहुंच, क्षेत्र में सक्रियता का पता लगा रहे हैं। इन सारे पैमानों पर खरे उतरने वाले विधायकों को दोबारा चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। बताया जा रहा है कि इन पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की आठ विधानसभा सीटों पर विधायकों की लोकप्रियता का पता लगाया गया। तो पता चला ही योगी सरकार के दो मंत्री तथा लगातार चुनाव जीत रहे तीन विधायकों को इस चुनाव में टिकट मिला तो वह चुनाव हार जाएंगे क्योंकि इनका व्यवहार जनता के लिए ठीक नहीं रहा है।

चुनाव जीतने के बाद भी इन लोगों ने जनता की समस्याओं को सुनने में रुचि नहीं ली। इस तरह ही शिकायते जनता की सूबे के हर जिले में चुनाव जीते भाजपा के विधायकों को लेकर की। लगातार दो-तीन चुनाव जीते विधायकों को लेकर इस तरह ही शिकायतें अधिक मिली हैं, जिसके चलते ही भाजपा में ऐसे विधायकों के टिकट काटे जाने की संभावना है। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिन सीटों सीटों पर उम्मीदवार बदले, उनमें से 80 फीसदी सीटों पर जीत हासिल हुई। इसलिए पांच साल पहले के फार्मूले को फिर से आगामी विधानसभा चुनाव में अपनाया जाएगा, ताकि सपा-कांग्रेस के गठबंधन को टक्कर दी जा सके।

वर्ष 2024 के रिजल्ट से लिया सबक

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के अनुसार, चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का टिकट वितरण में सावधानी बरतना जरूरी होता है। चुनाव जीत सकने वाले उम्मीदवार का चयन हर पार्टी करती है। बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी ने यूपी में बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटे थे , जिसका पार्टी को लाभ हुआ। इस बार भी यह हो सकता है, लेकिन कितने विधायकों के टिकट कटेंगे और कितनों की सीट बदली जाएगी यह अभी कहा नहीं जा सकता।

वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में मंत्री और पार्टी विधायकों के टिकट काटे जाने को लेकर भाजपा के कई सीनियर नेता बीते लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हैं। इनके मुताबिक वर्ष 2019 में 62 लोकसभा सीट जीतने वाली भाजपा बीते लोकसभा चुनाव में 33 सीटों पर सिमट गई। पार्टी ने 49 मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट दिया था जिनमें से 27 चुनाव हार गए। इस प्रदर्शन के बाद ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह महसूस किया कि सिर्फ पुराने और स्थापित चेहरों के भरोसे चुनाव लड़ना हमेशा सुरक्षित रणनीति नहीं है। इसलिए अब बीते लोकसभा चुनावों के रिजल्ट से सबक लेते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विधानसभा के चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार के खिलाफ जनता का असंतोष सीधे चुनावी नतीजे को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जिस भी पार्टी विधायक और मंत्री के खिलाफ जनता की नाराजगी की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व तह पहुंची है, उसे चुनाव मैदान में नहीं उतरा जाएगा।

नाना पाटेकर

किरदार से बड़ा कलाकार

टीएनसी ब्यूरो

नाना पाटेकर का नाम आते ही एक चेहरा सामने आता जो कठोर, गंभीर और भीतर तक उतर जाने वाली आंखों वाला। एक ऐसी आवाज, जिसमें गुस्सा भी दिखता था, दर्द भी और सच कहने का साहस भी। हिंदी सिनेमा में बहुत कम कलाकार ऐसे हुए हैं, जिनकी मौजूदगी पर्दे पर आते ही कहानी का तापमान बदल देती है। नाना पाटेकर उन्हीं में से एक थे। मराठी रंगमंच से शुरू हुआ उनका सफर धीरे-धीरे हिंदी फिल्मों तक पहुंचा। अंकुश, प्रतिघात, परिंदा, क्रांतवीर, अग्निसाक्षी, यशवंत और अब तक छप्पन जैसी फिल्मों ने उनके अभिनय के अलग-अलग रंग दिखाए। परिंदा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और क्रांतिवीर ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन नाना की असली पहचान पुरस्कारों से नहीं, उनके अभिनय की उस बेचैनी से बनी जो दर्शक को भीतर तक झकझोर देती है। वह संवाद नहीं बोलते, जैसे किरदार के भीतर जमा हुआ लावा बाहर निकालते थे। उनकी आवाज का उतार-चढ़ाव, चेहरे की कठोरता और आंखों की भाषा कई बार शब्दों से ज्यादा प्रभाव पैदा करती । उनके अभिनय में बनावट कम और जीवन की खुरदरी सच्चाई ज्यादा दिखाई देती। लेकिन जिस कलाकार का अभिनय इतना प्रभावशाली रहा, उसका निजी व्यक्ति त्व हमेशा उतना निर्विवाद नहीं रहा। समय-समय पर उनके व्यवहार और निजी जीवन को लेकर चर्चाएं और विवाद सामने आते रहे। इनमें सबसे चर्चित प्रसंग अभिनेत्री तनुश्री दत्ता का रहा। तनुश्री दत्ता ने 2018 में 2008 की फिल्म Horn 'Ok' Pleassss की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर पर अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। नाना ने इन आरोपों से इनकार किया। पुलिस जांच के बाद उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने की बात सामने आई और बाद में अदालत में भी मामला समाप्त हुआ। इसलिए इस प्रकरण को आरोप और जवाब के रूप में ही देखा जाना चाहिए, सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं।



नाना पाटेकर का निजी जीवन भी हमेशा चर्चा में रहा। अभिनेत्री मनीषा कोइराला के साथ उनके संबंधों को लेकर कभी मीडिया में चर्चाएं हुईं, तो पत्नी नीलकांति पाटेकर से लंबे समय से अलग रहने की खबरें भी आती रहीं। लेकिन इन निजी प्रसंगों को उनके चरित्र पर फैसला सुनाने का आधार मानना उचित नहीं होगा।

नाना पाटेकर के व्यक्ति त्व पर उंगलियां उठती रहीं, लेकिन उनके अभिनय की शक्ति पर सवाल उठाना मुश्किल रहा। पर्दे पर वह जब किसी किरदार में प्रवेश करते तो नाना पाटेकर पीछे छूट जाते हैं और सामने केवल वह चरित्र रह जाता। शायद यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उन्होंने अभिनय को पेशा नहीं, एक ऐसी अनुभूति बना दिया जिसमें कलाकार दिखाई नहीं देता, केवल किरदार दिखाई देता है।

ब्रिक्स सम्मेलन में दिखी ईरान की कूटनीति और भारत की रणनीति



असद रिज़वी

नई दिल्ली। 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में हुआ 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केवल आर्थिक सहयोग और वैश्विक दक्षिण की राजनीति का मंच नहीं था। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने इसे एक बड़ी कूटनीतिक परीक्षा में बदल दिया। इसके केंद्र में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की मौजूदगी, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ा तनाव और भारत की वह विदेश नीति थी, जो एक साथ कई शक्ति केंद्रों से संवाद बनाए रखने की कोशिश करती है।

ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इसमें पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, ऐसी कार्रवाइयों से बचने जो स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं, तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद, परामर्श और कूटनीति पर जोर दिया गया। घोषणा में वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता तथा ऊर्जा और समुद्री व्यापार से जुड़े जोखिमों पर भी चिंता जताई गई।

पेजेशकियान की दिल्ली यात्रा को केवल ब्रिक्स में ईरान की भागीदारी के रूप में देखना अधूरा होगा। यह ऐसे समय हुई जब ईरान अमेरिका और इजरायल के साथ गंभीर सैन्य टकराव, आर्थिक दबाव और क्षेत्रीय तनाव का सामना कर रहा था। इसके बावजूद तेहरान ने बहुपक्षीय मंचों पर अपनी अपनी कूटनीतिक मौजूदगी बनाए रखी। दिल्ली में उसकी मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि युद्ध और दबाव के बावजूद ईरान ने कूटनीति का रास्ता बंद नहीं किया है।

युद्ध के बीच कूटनीति की तलाश

28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के हमलों के साथ शुरू हुए युद्ध ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई और कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। इसके बाद ईरान ने अमेरिका तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस संघर्ष ने पश्चिम एशिया की सुरक्षा के साथ-साथ समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को भी प्रभावित किया।

युद्ध की मानवीय कीमत भी बेहद गंभीर रही। 28 फरवरी को दक्षिणी ईरान के मीनाब में एक स्कूल पर हुए हमले में 168 में बच्चों के मारे जाने की खबर ने युद्ध की मानवीय त्रासदी को और भयावह बना दिया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार मिनाब स्कूल हमले के लिए अमेरिका और इज़राइल को जिम्मेदार हैं।

लेकिन पिछले छः महीने में ईरान ने जिस तरह अमेरिका और इज़राइल का मुकाबला किया है, और उनके हर हमले का जवाब दिया, अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते है ईरान पश्चिम एशिया में एक बड़ी शक्ति बन कर उभरा है। हालाँकि अभी ईरान की मौजूदा स्थिति को केवल विजेता जैसे शब्दों से समझना पर्याप्त नहीं होगा। उसे भारी सैन्य और मानवीय नुकसान हुआ है, लेकिन दिल्ली में उसकी सक्रिय कूटनीतिक मौजूदगी यह जरूर दिखाती है कि उसकी राजनीतिक और कूटनीतिक क्षमता पर मता पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। यही पेजेशकियान की दिल्ली यात्रा का पहला बड़ा संदेश था।

दिल्ली से अमेरिका को खुला संदेश

पेजेशकियान की दिल्ली मौजूदगी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उनका अमेरिका के प्रति खुला राजनीतिक संदेश था। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान उन्होंने एकतरफा प्रतिबंधों की नीति पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने ब्रिक्स के भीतर ऐसी आर्थिक व्यवस्था विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया जो किसी एक देश के प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव से कम प्रभावित हो। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की जरूरत की भी बात की।

पेजेशकियान का यह संदेश इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वह इसे नई दिल्ली में ब्रिक्स के मंच के दौरान दे रहे थे। उनके लिए ब्रिक्स केवल आर्थिक सहयोग का संगठन नहीं, बल्कि ऐसी बहुपक्षीय व्यवस्था की संभावित जगह भी है जहां किसी एक शक्ति की आर्थिक और राजनौतिक शर्तें निर्णायक न हों।

इस अर्थ में यह कहना अधिक सटीक होगा कि पेजेशकियान ने दिल्ली से अमेरिकी एकतरफावाद और प्रतिबंध नीति को खुली चुनौती दी।

हालांकि इसे भारत की ओर से अमेरिका-विरोधी रुख नहीं माना जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेजेशकियान के साथ बातचीत में संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कटनीति, क्षेत्रीय शांति, नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री व्यापार और नाविकों की सुरक्षा पर जोर दिया। यानी नई दिल्ली ने ईरान को सुनने का अवसर दिया, लेकिन अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और सभी प्रमुख शक्ति केंद्रों से संवाद की नीति को भी जारी रखा।

भारत के लिए पेजेशकियान क्यों महत्वपूर्ण थे?

पेजेशकियान की भारत यात्रा ईरानी राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा थी। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी फरवरी 2018 में भारत आए थे।

11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पेजेशकियान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-ईरान संबंधों के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति, नौवहन और समुद्री व्यापार की सुरक्षा तथा नाविकों की सुरक्षा पर चर्चा की। मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और



स्थिरता के लिए संवाद और कूटनीति जारी रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। यह दोनों नेताओं की करीब दो सप्ताह में दूसरी मुलाकात थी; इससे पहले वे 31 अगस्त को बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान मिले थे।

भारत के लिए ईरान के साथ संवाद का महत्व केवल राजनीतिक नहीं है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का महत्वपूर्ण साधन है। 13 मई 2024 को India Ports Global Limited (IPGL) और ईरान की Ports and Maritime Organization के बीच चाबहार के Shahid Beheshti Terminal के विकास और संचालन के लिए 10 वर्ष का समझौता हुआ था।

चाबहार को लेकर बातचीत का व्यावहारिक पक्ष भी सामने आया। पेजेशकियान ने भारत को चाबहार में निवेश बढ़ाने और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को विस्तार देने का निमंत्रण दिया। यह ऐसे समय महत्वपूर्ण है जब अमेरिकी प्रतिबंधों और 2026 में प्रतिबंधों से जुड़ी नई परिस्थितियों ने परियोजना में भारत की भूमिका के सामने नई कूटनीतिक जटिलताएं पैदा की हैं।

यही वजह है कि नई दिल्ली के लिए तेहरान से संवाद बनाए रखना रणनीतिक जरूरत भी है और कूटनीतिक चुनौती भी।

अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है, रूस के साथ उसके लंबे समय से संबंध हैं, खाड़ी देशों के साथ बड़े आर्थिक हित हैं और ब्रिक्स जैसे मंच पर चीन सहित कई प्रमुख शक्तियों के साथ संवाद होता है। ऐसे माहौल में ईरान के साथ संबंध बनाए रखना भारत की उस नीति का हिस्सा है जिसे व्यापक रूप से रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) कहा जाता है।

हाथ में हाथ : एक तस्वीर, कई संदेश

ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मसूद पेजेशकियान की साथ चलते हुए तस्वीर भी चर्चा में रही। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी का यह दृश्य ऐसे समय सामने आया जब ईरान अमेरिका के साथ गंभीर सैन्य टकराव में था और भारत एक ओर अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ा रहा था, तो दूसरी ओर ईरान और रूस जैसे देशों के साथ अपने पारंपरिक तथा रणनीतिक संबंध भी बनाए हुए था।

इसे केवल औपचारिक प्रोटोकॉल की तस्वीर मानना भी पर्याप्त नहीं होगा। कूटनीति में तस्वीरें और सार्वजनिक व्यवहार भी संदेश देते हैं। मोदी का पेजेशकियान के साथ हाथ में हाथ डालकर चलना एक तरह का कूटनीतिक ऑप्टिक्स बना-जिसका संदेश यह था कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ईरान, रूस, पश्चिम और अन्य शक्ति केंद्रों के साथ संवाद बनाए रखने में संकोच नहीं करता। इसलिए यह तस्वीर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का दृश्य प्रतीक थी।

मोदी की पेजेशकियान के साथ बातचीत में भी भारत की आधिकारिक लाइन सामने आई-संवाद, कूटनीति, क्षेत्रीय शांति, नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री व्यापार की सुरक्षा।

दिलचस्प बात यह भी है कि पेजेशकियान ने भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई। उनके लिए दिल्ली केवल ब्रिक्स की बैठक का स्थान नहीं था, बल्कि भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने का अवसर भी था।

ब्रिक्स की असली परीक्षा: ईरान व यूएई

नई दिल्ली सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरों में से एक ईरान और यूएई के बीच उच्चस्तरीय संपर्क था।

12 सितंबर को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पेजेशकियान से ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की तथा तनाव कम करने, स्थिरता और शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। मीडिया ने इस मुलाकात को संघर्ष शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संपर्क के रूप में महत्वपूर्ण बताया।

यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि पिछले महीनों में ईरान और यूएई के बीच गंभीर सैन्य और राजनीतिक तनाव रहा था। दोनों देशों ने ब्रिक्स की संयुक्त घोषणा का समर्थन किया, जिसमें पश्चिम एशिया में अधिकतम संयम, नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया गया।

यह कहना सही नहीं होगा कि भारत ने ईरान और श्व के बीच कोई औपचारिक शांति समझौता करा दिया। लेकिन नई दिल्ली में दोनों पक्षों को एक ही बहुपक्षीय मंच पर बातचीत का अवसर मिला और भारतीय कूटनीति ने साझा भाषा तैयार करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, घोषणा तैयार करने की बातचीत में कई स्तरों पर भारतीय राजनयिक सक्रिय रहे। यही ब्रिक्स की उपयोगिता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक पश्चिम एशिया के मुद्दे पर मतभेदों के बीच संयुक्त बयान के बजाय अध्यक्षीय बयान और अन्य दस्तावेजों के साथ समाप्त हुई थी। सितंबर में तस्वीर बदली और नई दिल्ली में सदस्य देश संयुक्त घोषणा पर सहमत हुए।

यह युद्ध खत्म कराने वाली उपलब्धि नहीं थी। लेकिन यह जरूर दिखाता है कि गहरे मतभेदों के बावजूद बातचीत की जगह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।

संजय राउत का शेर वाला बयान

पेजेशकियान की दिल्ली मौजूदगी का राजनीतिक असर भारत के घरेलू विमर्श में भी दिखाई दिया। शिवसेना (ब्ब्ब्) के सांसद संजय राउत ने ईरानी राष्ट्रपति की प्रशंसा करते हुए उन्हें शेर जैसा साहसी व्यक्ति बताया। मीडिया द्वारा जारी उनके एक बयान के अनुसार, राउत ने कहा कि पूरी दुनिया के ईरान के खिलाफ होने के बावजूद पेजेशकियान भारत आए और ईरान ने अमेरिका तथा इजरायल के सामने अपनी ताकत और आत्मसम्मान दिखाया। यह टिप्पणी उस समय महत्वपूर्ण बनी जब पेजेशकियान की दिल्ली यात्रा, उनके अमेरिका-विरोधी आर्थिक और राजनीतिक संदेश तथा मोदी के साथ उनकी गर्मजोशी वाली तस्वीर पर व्यापक चर्चा हो रही थी। इस बयान से भारत के भीतर पेजेशकियान की यात्रा के एक दूसरे राजनीतिक अर्थ की भी झलक मिलती है। जहां सरकार की भाषा संवाद और संतुलन की थी, वहीं विपक्ष के एक प्रमुख नेता ने ईरान की प्रतिरोध क्षमता और उसके अमेरिका-विरोधी रुख को अधिक राजनीतिक नजरिए से देखा।

होर्मुज़: युद्ध का समुद्री मोर्चा

ईरान की रणनीतिक स्थिति को समझने के लिए होर्मुज़ जलडमरूमध्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा और समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। युद्ध के दौरान यहां बढ़ते तनाव ने तेल और समुद्री व्यापार पर दबाव बढ़ाया तथा एशियाई देशों की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करने की आशंका पैदा की।

पेजेशकियान ने भी होर्मुज़ और सामान्य नौवहन की बहाली को क्षेत्रीय सुरक्षा तथा अमेरिकी कार्रवाई और प्रतिबंधों के व्यापक संदर्भ से जोड़ा। इसलिए इस मुद्दे को केवल समुद्री मार्ग की तकनीकी समस्या के रूप में नहीं, बल्कि ईरान और अमेरिका के बीच व्यापक राजनीतिक तनाव के हिस्से के रूप में देखना जरूरी है। भारत के लिए इसका सीधा अर्थ है-पश्चिम एशिया का युद्ध केवल पश्चिम एशिया की समस्या नहीं है। इसका असर भारतीय ऊर्जा आयात, समुद्री व्यापार, बीमा लागत और नाविकों की सुरक्षा पर पड़ सकता है।

मोदी और पेजेशकियान की बातचीत में नौवहन और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा शामिल होना इसी चिंता को दिखाता है।

दिल्ली में कूटनीति का दूसरा चेहरा

पेजेशकियान की यात्रा केवल सरकारों के बीच बातचीत तक सीमित नहीं रही। भारत के धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी उनसे मुलाकात की। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने पेजेशकियान से मुलाकात में भारत और ईरान के संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा, व्यापार, संस्कृति, विज्ञान, तकनीक, कनेक्टिविटी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात रखी। उन्होंने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और शांति की अपील भी की। इस संवाद में मौलाना कल्बे जवाद और मौलाना कल्बे रुशैद सहित अन्य प्रमुख धार्मिक और सामाजिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी भी रही।

ईरान के राष्ट्रपति ने हिन्दू धर्म सहित अन्य धर्मों के प्रमुख आध्यात्मिक नेताओं, जिनमें स्वामी सारंग सारंग मोहिले आदि शामिल हैं, से भी मुलाकात की है। इस तरह यह मुलाकात केवल सरकारी कूटनीति तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि भारत-ईरान के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संपर्कों की झलक भी सामने आई। यह संपर्क इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत-ईरान संबंध केवल सरकारों और विदेश मंत्रालयों से नहीं बने हैं। इनके पीछे भाषा, साहित्य, धर्म, संस्कृति और लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंध भी हैं।

चाबहार से आगे

भारत-ईरान संबंधों का अगला सवाल यह है कि



राजनीतिक संवाद को व्यावहारिक सहयोग में कितना बदला जा सकता है। चाबहार इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। भारत सरकार के अनुसार, Shahid Beheshti Terminal भारत के लिए अफगानिस्तान और व्यापक मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ व्यापार और संपर्क का महत्वपूर्ण द्वार है। 13 मई 2024 का 10 वर्षीय समझौता इस रणनीतिक महत्व को स्पष्ट करता है। चाबहार को लेकर पेजेशकियान का भारत को निवेश बढ़ाने का निमंत्रण इस परियोजना की रणनीतिक अहमियत को और रेखांकित करता है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध, युद्ध और क्षेत्रीय अस्थिरता इन परियोजनाओं के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। खासकर 2026 में प्रतिबंधों से जुड़ी नई परिस्थितियों ने चाबहार में भारत की भूमिका को लेकर अनिश्चितता बढ़ाई है। ईरान की भौगोलिक स्थिति International North-South Transport Corridor (INSTC) के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत के लिए यह मार्ग यूरोप और मध्य एशिया तक वैकल्पिक संपर्क उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। इसलिए भारत-ईरान संबंधों की असली परीक्षा बयानबाजी में नहीं, बल्कि व्यापार, संपर्क, निवेश और समुद्री सुरक्षा में होगी।

ब्रिक्स की सीमा भी सामने आई

नई दिल्ली घोषणा ब्रिक्स की कूटनीतिक क्षमता का प्रमाण जरूर है, लेकिन इसकी सीमाओं को भी सामने



भारत-ईरानः साझा जरूरतों का रिश्ता

भारत और ईरान के संबंध केवल इतिहास और संस्कृति पर आधारित नहीं हैं। आज इनके पीछे तीन बड़े रणनीतिक हित हैं- कनेक्टिविटी, ऊर्जा और रणनीतिक स्वायत्तता। भारत के लिए ईरान पश्चिम एशिया से मध्य एशिया तक पहुंच का महत्वपूर्ण भौगोलिक रास्ता है। चाबहार और International North-South Transport Corridor इस संबंध को व्यावहारिक महत्व देते हैं। 2024 में दोनों देशों ने Shahid Beheshti Terminal के लिए 10 वर्ष का दीर्घकालिक समझौता किया।

ईरान के लिए भारत एक बड़ा एशियाई बाजार और महत्वपूर्ण कूटनीतिक साझेदार है। दोनों देशों के आर्थिक संबंध चीन की तुलना में छोटे हैं, लेकिन भारत ईरान के लिए एक अलग और महत्वपूर्ण एशियाई विकल्प बना हुआ है। यही इस रिश्ते की असली ताकत है-दोनों देशों की जरूरतें अलग हो सकती हैं, लेकिन कई रणनीतिक हित एक-दूसरे से जुड़े हैं।

ब्रिक्स बाजार में ज़हरा पेजेशकियान

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की बेटी ज़हरा पेजेशकियान ने 12 सितंबर को नई दिल्ली के National Crafts Museum में आयोजित ब्रिक्स बाजार का दौरा किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उनका स्वागत किया।

ज़हरा पेजेशकियान ने ब्रिक्स देशों की कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े प्रदर्शनों को देखा। उनका यह दौरा ब्रिक्स सम्मेलन के बीच भारत और ईरान के मानवीय तथा सांस्कृतिक संबंधों की एक झलक भी पेश करता है।

लाती है। ईरान और यूएई जैसे देशों के बीच गंभीर मतभेदों के बावजूद साझा भाषा तैयार की जा सकी। लेकिन ब्रिक्स के पास किसी युद्ध को रोकने या सदस्य देशों की ओर से सैन्य कार्रवाई करने की बाध्यकारी सामूहिक व्यवस्था नहीं है। न ही उसके पास ऐसा राजनीतिक ढांचा है जो सभी सदस्य देशों पर एक समान विदेश नीति लागू कर सके।

इसकी वास्तविक ताकत शायद कहीं और है- विरोधी या अलग-अलग हितों वाले देशों को एक ही मंच पर बातचीत के लिए लाने की क्षमता।

यही कारण है कि ब्रिक्स को केवल पश्चिम-विरोधी मंच या सैन्य गठबंधन के रूप में देखना सही नहीं होगा। यह आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक शासन के सवालों पर अलग-अलग देशों के बीच बातचीत की जगह भी है। आधिकारिक घोषणा स्वयं ब्रिक्स को संवाद, बहुपक्षवाद, संप्रभु समानता और सहयोग के व्यापक ढांचे के रूप में प्रस्तुत करती है।

नई दिल्ली सम्मेलन ने इसकी एक और सीमा भी दिखाई। सदस्य देश साझा बयान तैयार कर सकते हैं, लेकिन हर मुद्दे पर समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए ब्रिक्स की ताकत consensus बनाने में है, लेकिन उसकी कमजोरी ब्रिक्स को ठोस सामूहिक कार्रवाई में बदलने की क्षमता में भी दिखाई देती है।

भारत की भूमिकाः मध्यस्थ नहीं, संवाद का मंच

भारत ने ईरान और अमेरिका के बीच कोई औपचारिक मध्यस्थता नहीं की। ईरान और यूएई के बीच भी भारत ने किसी औपचारिक शांति समझौते की घोषणा नहीं की, लेकिन नई दिल्ली ने ऐसा मंच जरूर उपलब्ध कराया जहां अलग-अलग हित रखने वाले देशों ने एक-दूसरे से बात की। ब्रिक्स की संयुक्त घोषणा में संवाद, परामर्श और कूटनीति के जरिए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया गया। भारत की भूमिका को इसी संदर्भ में देखना चाहिए।

नई दिल्ली ने ईरान को सुना और यूएई के साथ संवाद बनाए रखा, अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी जारी रखी और रूस तथा चीन जैसे देशों के साथ ब्रिक्स के मंच पर काम किया। यही भारत की विदेश नीति की जटिलता भी है और उसकी रणनीतिक क्षमता भी। यह संतुलन आसान नहीं है। लेकिन भारत की कोशिश किसी एक शक्ति खेमे का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर अलग-अलग शक्ति केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखने की रही है।

दिल्ली से निकला संदेश

मसूद पेजेशकियान की दिल्ली यात्रा का सबसे बड़ा संदेश ईरान की जीत या हार नहीं था। संदेश यह था कि भारी सैन्य और आर्थिक दबाव के बावजूद तेहरान ने बहुपक्षीय कटनीति से खुद को अलग नहीं किया। उसने ब्रिक्स के मंच पर अपनी आवाज उठाई, अमेरिकी एकतरफा प्रतिबंधों की आलोचना की। यूएई के साथ उच्चस्तरीय संवाद किया और भारत के साथ अपने राजनीतिक तथा सामाजिक संपर्क को आगे बढ़ाया।

दूसरी ओर, भारत ने यह दिखाया कि वह एक साथ कई शक्ति केंद्रों से बात कर सकता है। मोदी और पेजेशकियान की हाथ में हाथ वाली तस्वीर ने इस नीति का दृश्य रूप जरूर प्रस्तुत किया, लेकिन भारत की आधिकारिक भाषा संतुलित रही-संवाद, कूटनीति, शांति, नौवहन और व्यापार की सुरक्षा।

ब्रिक्स ने यह भी दिखाया कि गंभीर मतभेदों के बीच भी साझा भाषा संभव है-हालांकि उसे वास्तविक कार्रवाई में बदलना अभी भी बड़ी चुनौती है। दिल्ली की कहानी इसलिए केवल पेजेशकियान की भारत यात्रा की कहानी नहीं है। यह उस बदलती दुनिया की तस्वीर है जिसमें शक्ति केवल सैन्य ताकत से तय नहीं होती। किससे बात करनी है, किससे संबंध बनाए रखने हैं और विरोधी हितों वाले देशों को एक ही मेज पर कैसे लाना है- यह भी रणनीतिक शक्ति है। भारत के लिए चुनौती यही है कि वह इस संवाद को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार और संपर्क व्यवस्था के ठोस हितों में बदल सके।

दिल्ली ने किसी एक पक्ष का चुनाव नहीं किया। उसने संवाद का विकल्प खुला रखा। यही शायद इस समय भारत की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका है।



एलोवेरा जूस से मजबूत होगा पाचन

त्वचा, बाल और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या में काफी हद तक राहत मिलती है। इसके साथ ही एलोवेरा जूस में कई पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट्स, खनिज और विटामिन पाए जाते हैं।



खानपान को ठीक रखने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट फलों और सब्जियों के जूस के नियमित सेवन को लाभकारी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा ही एक एलोवेरा जूस है, जोकि कई तरह से फायदेमंद होता है। इसके इस्तेमाल से सेहत, स्किन और बालों से जुड़ी समस्या में काफी हद तक राहत पाई जा सकती है। एलोवेरा की पत्तियों से तैयार किए जाने वाले इस जूस में कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाने हैं। इसके अलावा इसमें खनिज और विटामिन भी पाया जाता है, जोकि शरीर के सामान्य कामकाज में अहम भूमिका निभाते हैं। खासतौर पर पाचन संबंधी समस्या को कम करने में एलोवेरा जूस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एलोवेरा जूस को किसी बीमारी का इलाज या शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्स करने वाला उपाय नहीं माना जाना चाहिए।

पाचन होगा बेहतर

एलोवेरा जूस का इस्तेमाल कब्ज जैसी समस्या को कम करने में किया जाता है। एलोवेरा जूस के सेवन से पेट फूलने या पाचन संबंधी समस्या से भी राहत मिल सकती है। हालांकि पेट की हर समस्या के लिए एलोवेरा जूस को इलाज नहीं माना जा सकता है।

शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में करेगा मदद

एलोवेरा में कुछ विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स से कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को कम करता है। एलोवेरा में विटामिन सी पाया जाता है, जोकि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी पोषक तत्व है। संतुलित डाइट के साथ ऐसे पोषक तत्व बॉडी को हेल्दी रखने में सहायता करते हैं।

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

एलोवेरा जूस स्किन के लिए लाभकारी होता है। इसके रोजाना सेवन से स्किन में निखार आता है और स्किन भी ग्लोइंग बनती है। एलोवेरा जूस स्किन की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। इसके सेवन से एक्जिमा, मुंहासे और अन्य चर्म रोगों में राहत मिलती है। ड्राई स्किन हो या बालों की समस्या हो, एलोवेरा जूस सभी में फायदेमंद होता है। यह बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों के विकास को बढ़ावा देता है। एलोवेरा जूस में पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स हेयर फॉल्स को रोकने में मदद करता है।

इन बातों का रखें ख्याल

हर व्यक्ति के लिए एलोवेरा जूस समान रूप से सेफ नहीं होता है। इसकी ज्यादा मात्रा लेने से पेट में ऐंठन, दस्त या अन्य पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। एलोवेरा के कुछ हिस्सों में ऐसे यौगिक पाए जाते हैं, जिनका ज्यादा सेवन करने से सेहत को नुकसान हो सकता है। इसलिए मार्केट में मिलने वाले एलोवेरा जूस के लेबल पर दिए गए निर्देश और मात्रा का पालन करें। प्रेग्नेंट महिलाओं, बच्चों, स्तनपान कराने वाली महिलाओं या किसी बीमारी की दवा लेने वाले लोगों को एलोवेरा जूस का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

इस कारण होती है ब्लोटिंग

भागदौड़ वाली जिंदगी में सेहत का ध्यान रखना किसी चैलेंज से कम नहीं होता है। आज के समय में लगभग हर किसी को पाचन संबंधित समस्या देखने को मिल रही है। अगर सुबह उठते ही पेट में भारीपन या फूला हुआ है, तो ब्लोटिंग बढ़ जाना कई लोगों के लिए आम समस्या है। कई लोगों को पेट खाना खाते ही फूलने लगता है। वहीं, कुछ लोगों को बिना खाए भी ब्लोटिंग महसूस होती है। असल में ब्लोटिंग का सबसे मुख्य कारण पाचन तंत्र में गैस होना है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ ज्यादा गैस ही जिम्मेदार नहीं होती है। खाने की आदतों को लेकर भी कब्ज और कुछ अन्य बातों के कारण भी हो सकता है।



लगातार थोड़ा-थोड़ा खाते रहना

अगर आप हेल्दी डाइजेशन चाहते हैं, तो आप हैवी मील्स लेने के बजाय थोड़े गैप में हल्के मील्स लें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरे दिन कुछ न कुछ खाती रहें। ऐसे में लोग दिनभर स्नैक्स, ड्रिंक्स या कुछ न कुछ खाते रहते हैं। जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम करने का समय नहीं मिल पाता है। इसलिए बार-बार पाचन और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होने चलते ब्लोटिंग हो सकती है।

अचानक ज्यादा फाइबर खाना

फाइबर पाचन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप अचानक अपनी डाइट में ज्यादा फाइबर शामिल कर लेते हैं, तो गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। सलाद, बीज और दाल जैसी चीजों को पचाने में शरीर को थोड़ा ज्यादा समय लगता है। इसलिए डाइट में फाइबर की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाएं, एकदम से ज्यादा फाइबर न लें।

खाना जल्दी-जल्दी खाने की आदत

कई लोगों की आदत होती है, खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं, खाने को ठीक से चबाते नहीं है। ऐसा करने से पैट में गैस और ब्लोटिंग की समस्या बन जाती है। फिजी ड्रिंक्स पीने से कुछ लोगों में ज्यादा हवा निगलने की वजह से गैस के लक्षण बढ़ सकते हैं और फिर आपको ब्लोटिंग महसूस हो सकती है।

पेट साफ न होना

अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता और अक्सर कब्ज रहती है, तो इससे पेट फूलने और गैस की समस्या हो सकती है। कब्ज होने पर पेट में भारीपन और ब्लोटिंग ज्यादा महसूस होती है। इसलिए पेट को नियमित रूप से साफ रखना और कब्ज से बचना जरूरी है।





एशियाई खेल मेडलवीरों से मिले पीएम मोदी

'जुनून जीत में बदले तो चमकता है न्यू इंडिया'

टीएनसी नेटवर्क

पिछले 12 वर्षों में, देश ने एक दूरदर्शी सोच के साथ लगातार और समर्पित प्रयास किए हैं। हमने एक अधिक पारदर्शी और आधुनिक खेल इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया की शुरुआत की, और समय के साथ इन पहलों का विस्तार भी किया है। खेलो इंडिया का विस्तार करने और खेल महासंघों को मजबूत बनाने के लिए, हमने 36,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की है। आज, पूरे देश में 1,000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियाई खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। भारतीय दल ने कुल 85 पदक जीते, जिनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। हालांकि, तीन साल पहले हांगझोऊ में जीते गए ऐतिहासिक 106 पदकों की तुलना में यह संख्या कुछ कम रही, फिर भी 2026 का प्रदर्शन ऐतिहासिक था, क्योंकि यह एशियाई खेलों में भारत का अब तक का दूसरा सबसे सफल प्रदर्शन रहा।

15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान खिलाड़ियों ने उन्हें अपनी हस्ताक्षरित (साइन की हुई) जर्सी और हॉकी स्टिक भेंट की, साथ ही शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में हुए एशियाई खेल हमारे लिए कई मायनों में यादगार रहे हैं। इतने सारे पदक वीर और उन सबको एक साथ मिलना... ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत सुखद एहसास होता है। आप सब युवा एथलीट इस बात के उदाहरण हैं कि जुनून जब जीत में बदलता है तो वो कैसे मेडल के साथ साथ चेहरे की चमक भी लेकर आता है। और देश तो चमकता ही है।

मोदी ने कहा कि हमारी पुरुष और महिला हॉकी, दोनों टीमें यहाँ मौजूद हैं; दोनों ही टीमों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। खासकर हमारी महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में, हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार पदक जीतकर अपने ही पिछले रिकॉर्ड को दोहराया है। कबड्डी में, हमारी पुरुष और महिला, दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इसी तरह, हमने तीरंदाजी में पाँच स्वर्ण पदक हासिल किए। हमने शूटिंग में शानदार प्रदर्शन देखा, और बॉक्सिंग तथा कुश्ती में भी बड़ी सफलताएँ हासिल कीं। हमारे खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड बनाए, और हमने 28 साल बाद वेटलिफ्टिंग में भी एक पदक जीता है।

उन्होंने कहा कि 1982 के बाद पहली बार, भारत ने मैराथन में सफलता हासिल की है। यह सचमुच बहुत खुशी की बात है। मैं विशेष रूप से हमारी बेटियों की तारीफ करना चाहूंगा। भारत ने जो 85 पदक जीते हैं, उनमें से 38 पदक हमारी महिला खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं, जिनमें 11 स्वर्ण पदक शामिल हैं। ये पदक केवल कुछ आंकड़े नहीं हैं; ये एक नए भारत की सशक्त तस्वीर पेश करते हैं। आज भारत उन खेलों में भी पदक जीत रहा है, जिनमें एशियाई खेलों के इतिहास में हमने पहले कभी कुछ नहीं जीता था - जैसे कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, सॉफ्ट टेनिस और सेलिंग (नौकायन) के कुछ इवेंट्स। हमारे खिलाड़ियों ने इन खेलों में पहली बार पदक जीतकर इतिहास रच दिया है... पिछले 12 वर्षों में, भारत ने अपने खिलाड़ियों और खेल इकोसिस्टम को समर्थन देने के लिए बहुत धैर्य, लगन और समर्पण के साथ काम किया है।

फॉर्मूला-1 की अफ्रीका में 33 साल बाद वापसी

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी कार रेसिंग प्रतियोगिताओं में शामिल फॉर्मूला-1 की अफ्रीका में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। करीब 33 साल के लंबे इंतजार के बाद अब रवांडा में इस प्रतियोगिता की रेस आयोजित की जाएगी। मंगलवार को हुए ऐलान के मुताबिक, रवांडा और फॉर्मूला-1 के बीच 10 साल का समझौता हुआ है। इसके तहत 2030 के दशक की शुरुआत से अफ्रीकी ग्रांड प्रीक्स को प्रतियोगिता के कैलेंडर में शामिल करने की तैयारी है। हालांकि, रेस शुरू होने से पहले नए ट्रैक और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण पूरा करना होगा।

इस रेस का नाम अफ्रीकन ग्रांड प्रीक्स, प्रेजेंटेड बाय विजिट रवांडा रखा जाएगा। इसका आयोजन राजधानी किगाली से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण में बुगेसरा इलाके में किया जाएगा। यहां एक नया रेसिंग ट्रैक बनाया जाएगा, जिसके पास ही नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी तैयार किया जा रहा है। बता दें कि फॉर्मूला-1 ने आखिरी बार 1993 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के पास स्थित कयालामी सर्किट पर रेस आयोजित की थी। इसके बाद से अफ्रीका प्रतियोगिता के आधिकारिक कैलेंडर से बाहर रहा है। फॉर्मूला-1 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेफानो डोमेनिकाली ने रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे और अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महासंघ के प्रमुख मोहम्मद बेन सुलेयम के साथ आयोजित कार्यक्रम में इसे अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि अगले दशक में रवांडा के शामिल होने से फॉर्मूला-1 दुनिया के सभी आबादी वाले महाद्वीपों तक पहुंच जाएगा। उनके मुताबिक, अफ्रीका में वापसी के लिए लंबे समय से सही साझेदार और स्थायी योजना की तलाश की जा रही थी।

नए रेसिंग ट्रैक को ऑस्ट्रिया के पूर्व रेसर एलेक्स वुर्ज तैयार कर रहे हैं। इसके डिजाइन में फॉर्मूला-1 के ट्रैक बनाने के अनुभव वाले जर्मन वास्तुकार हरमन टिल्के की टीम भी शामिल है। इस ट्रैक को तेज रफ्तार और घुमावदार रास्तों के साथ तैयार करने की योजना है। इसमें ऊंचाई में कई बदलाव होंगे, जिससे रेस और रोमांचक बन सकती है। आयोजकों के मुताबिक, यहां दर्शकों को कारों के करीब से मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। रवांडा विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीन-गाय अफीका ने बताया कि ट्रैक में करीब 100,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी।

जॉन ज़ैदी 15 वर्ष की उम्र में बने नेशनल चैंपियन

टीएनसी ब्यूरो

लखनऊ। सपने उम्र नहीं, हौसले देखते हैं। लखनऊ के 15 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी जॉन ज़ैदी ने अपनी मेहनत और लगन से इसे साबित कर दिखाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 4 अक्टूबर 2026 को आयोजित 43वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। इससे पहले सितंबर में बरेली में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था।

जॉन महज पांच साल की उम्र से लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ताइक्वांडो का अभ्यास कर रहे हैं। वर्षों की मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास ने उन्हें राष्ट्रीय चैंपियन बनाया है। अब उनका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है।

मुश्किलों के बीच जारी रखा अभ्यास

जॉन के सफर में खेल की उपलब्धियों के साथ शिक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी रही हैं। वह बताते हैं कि लखनऊ के सेंट फ्रांसिस कॉलेज में कक्षा 11 की पढ़ाई के दौरान 30 जुलाई को लंच में बिरयानी खाने को लेकर शिकायत हुई थी। उनके और उनके परिवार के मुताबिक, इसके बाद स्कूल प्रबंधन के साथ हुई बातचीत और टीसी से जुड़े घटनाक्रम के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई।

इन मुश्किलों के बावजूद जॉन ने अपने खेल का अभ्यास जारी रखा। उनका कहना है कि वह अपनी शिक्षा पूरी करने के साथ ताइक्वांडो में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका विश्वास है कि कठिन परिस्थितियों में निराश होने के बजाय मेहनत और उम्मीद का साथ बनाए रखना चाहिए।

जॉन कहते हैं, इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए और नतीजा ऊपरवाले पर छोड़ देना चाहिए। ईश्वर के प्रति आस्था और अपने लक्ष्य पर भरोसा उनकी सोच का अहम हिस्सा है।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की चाह

राष्ट्रीय चैंपियन बनने के बाद जॉन का सपना एशियाई खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। वह बेहतर प्रशिक्षण और खेल सुविधाओं को प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए जरूरी मानते हैं। उनकी अपील है कि सरकार और खेल विभाग खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएं।

जॉन का सपना सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं है। वह भविष्य में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त ताइक्वांडो सिखाना चाहते हैं। खासकर लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देकर उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। वह स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को भी अधिक महत्व दिए जाने के पक्षधर हैं।



73 किलोग्राम भार वर्ग में इंदौर में जीता स्वर्ण पदक, जरूरतमंदों को मुफ्त ताइक्वांडो सिखाने की ख्वाहिश

दुनिया में सबसे आगे रहे तिरंगा

जॉन युवाओं को संदेश देते हैं कि कठिन परिस्थितियों के कारण अपने सपने नहीं छोड़ने चाहिए। उनके अनुसार, पढ़ाई, खेल और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए मेहनत, धैर्य और अनुशासन जरूरी हैं।



दादा साहब फाल्के अवार्ड विजेता आशा पारेख का हिंदी सिनेमा में बड़ा योगदान

हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख ने 02 अक्टूबर को अपना 84वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी सफर में एक्टिंग, डांस और स्क्रीन पर अपनी खास मौजूदगी से दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। हालांकि उनका यह सफर इतना आसान नहीं रहा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।

मुंबई के सांता क्रूज में 02 अक्टूबर 1942 को आशा पारेख का जन्म हुआ था। उनको बचपन से ही डांस में दिलचस्पी थी। ऐसे में 8 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल में एक कार्यक्रम में डांस किया था। फिर आशा पारेख ने कथक और भरतनाट्यम की ट्रेनिंग भी ली।

निर्देशक बिमल रॉय ने आशा पारेख को एक स्टेज कार्यक्रम में डांस करते देखा। वह उनके डांस से इस कदर प्रभावित हुए कि आशा पारेख को फिल्म बाप बेटी में बतौर बाल कलाकार काम करने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने फिल्म आसमान, मां और श्री चैतन्य महाप्रभु जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया।

एक्ट्रेस के फिल्मी करियर का एक अहम मोड़ फिल्म गूंज उठी शहनाई से जुड़ा है। इस फिल्म में आशा पारेख को बतौर एक्ट्रेस साइन किया गया और 11 रुपए उनको साइनिंग अमाउंट के रूप में दिए गए। इस फिल्म को लेकर एक्ट्रेस काफी उत्साहित भी थीं। लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद उनको यह कहकर फिल्म से कहा दिया गया कि वह स्टार मैटीरियल नहीं हैं। यह घटना एक्ट्रेस के लिए बड़ा झटका थी।

फिल्म गूंज उठी शहनाई से बाहर होने के बाद एक्ट्रेस ने फिल्म दिल देके देखो के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया। इस फिल्म में आशा को शम्मी कपूर के साथ मुख्य कैरेक्टर मिल गया। यह फिल्म सफल रही और आशा पारेख को बतौर एक्ट्रेस पहचान मिली। इसके बाद उनके करियर ने रफ्तार पकड़ ली और उनको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी।

साल 1960 और 1970 के दशक में आशा पारेख को हिंदी सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्रियों में गिना जाने लगा। अभिनेत्री ने जब प्यार किसी से होता है, लव इन टोक्यो, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, आन मिलो सजना, आए दिन बहार के, कटी पतंग, मेरा गांव मेरा देश, उपकार, कारवां जैसी फिल्मों में काम किया था। फिल्म कटी पतंग में अभिनेत्री के अभिनय को काफी ज्यादा पसंद किया गया। इस फिल्म के लिए आशा पारेख को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।

अभिनेत्री आशा पारेख को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई बड़े सम्मान से नवाजा गया। साल 1992 में उनको पद्मश्री और साल 2002 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 2020 में भारत सरकार द्वारा आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



BN HOSPITAL

स्वास्थ्य सेवा समर्पण

24x7 Multi Speciality Hospital

Compassionate Care, Expert Doctors, Modern Facilities

- Emergency & Truama Centre
- Child Care & Maternity
- General Medicine & Orthopaedics
- ICU & NICU



YOUR HEALTH, OUR PRIORITY

NH-24, Sitapur Road, BKT, Lucknow

7234000913

7234000914

www.bnhospital.com

Rugs of India
THE BEAUTY IS IN THE WEAVE

Ministry of Textiles
Government of India

CEPC
CARPET EXPORT PROMOTION COUNCIL

MINISTRY OF
AND INDUSTRY
Government of India



SHRI GIRIRAJ SINGH
Hon'ble Minister of Textiles
Govt. of India



YOGI ADITYANATH
Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh



NARENDRA MODI JI
Hon'ble Prime Minister

50th Edition: A Legacy of Excellence

WE EXTEND OUR HEARTIEST WELCOME TO ALL BUYERS FROM BRICS COUNTRIES AND ACROSS THE GLOBE.



50th INDIA CARPET EXPO

Asia's Largest
Handmade Carpet Expo

Bhadohi (U.P.)
4 - 7 October 2026

CEPC
CARPET EXPORT PROMOTION COUNCIL

CARPET EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Set up by the Ministry of Textiles)
E-mail : info@cepc.co.in | **Website:** www.cepc.co.in